अंक 120

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

राजस्व प्रकरण विशेषांक

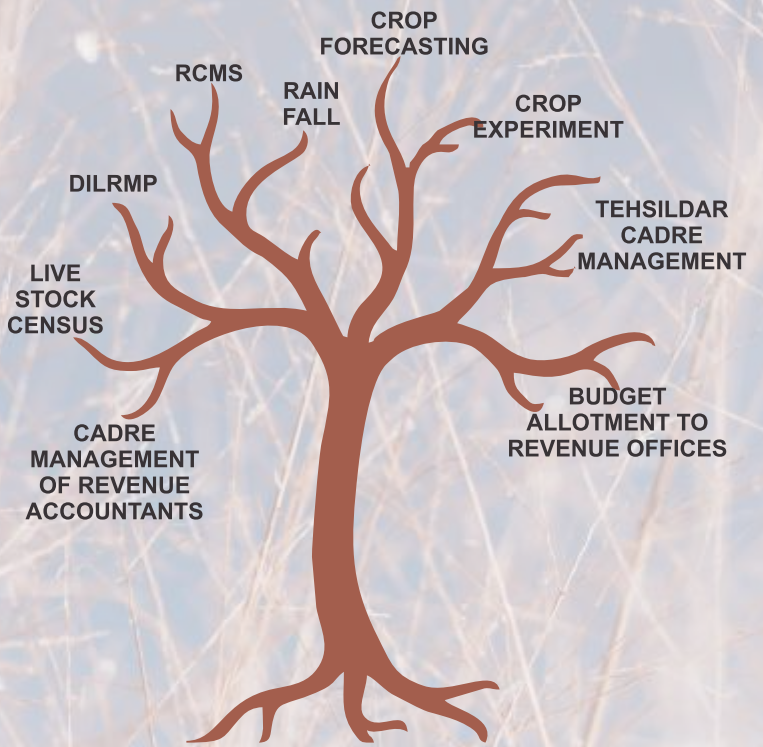

राजस्व मंडल राजस्थान

अजमेर

मण्डल में गणतंत्र दिवस समारोह

71 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्व मंडल में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ सदस्य मोडू दान देथा, राजस्व मंडल की तत्कालीन निबंधक श्रीमती विनीता श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के अवसर पर राजस्व मंडल के वाहन चालक गोविंद सेन को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए पूर्व सदस्य प्रमिल माथुर के पिताश्री एल.पी. माथुर की स्मृति में 1100 रुपए का पुरस्कार प्रदान करतीं तत्कालीन निबंधक श्रीमती विनीता श्रीवास्तव।

संरक्षक
श्री मुकेश शर्मा
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
परामर्शदाता
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य
श्री भंवरलाल मेहरड़ा, सदस्य
श्री जमील अहमद कुरैशी, सदस्य
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
डॉ. श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य
वरिष्ठ संपादक
रेणु जयपाल
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
सम्पादक
(प्रभारी अधिकारी, राविरा)
पवन कुमार शर्मा
जन सम्पर्क अधिकारी
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
सहयोग
जानकी कुमार सोलीवाल
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
(सेवानिवृत्त)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
गफूर अली
वरिष्ठ सहायक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
मुद्रक
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

राजस्व मण्डल राजस्थान
की त्रैमासिकी

अंक-120 रजि. क्रमांक 18119/70

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष की कलम से
2. संपादकीय

लेख-सामग्री एवं विविध जानकारी

3. राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन से कृषकों की डगर हुई आसान 01
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत संचालित फसल कटाई प्रयोग प्रणाली 05
5. राजस्थान में कृषकों के अधिकार 07
6. राजस्व कानूनों में विरोधाभास के समाधान हेतु संशोधन के संबंध में विचार/सुझाव 11
7. राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्राप्त उपलब्धियां 15
8. न्याय की डगर हुई आसान 17

स्थायी स्तम्भ

9. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय 18
10. राजस्व अधिकारियों के वाद निस्तारण : मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा 59
11. राजस्व नियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं संशोधनादि 69
12. राजस्व समाचार 93

सूचना : राविरा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष की कलम से...

राजस्व मण्डल की ओर से लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को लेकर किए गए प्रभावी उपायों के परिणामस्वरूप मण्डल द्वारा विगत 3 वर्ष में रिकॉर्ड 25745 मुकदमों का निस्तारण किया जा सका। यह मण्डल के अधिकारियों की दृढ़ इच्छाशक्ति का ही परिणाम है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि वादों के त्वरित निस्तारण की गति सतत रूप से आगे भी जारी रहेगी। साथ ही मैं राज्य में संचालित सभी विविध स्तरीय राजस्व अदालतों के प्रभारियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि वे नियमित तौर पर राजस्व अदालतों का आयोजन करें, ताकि राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण की स्थिति बन सके।

मंडल की ओर से प्रभावी कदम उठाते हुए राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक विभिन्न वर्गों को पदोन्नति का लाभ दिया जाकर राजस्व कार्यों के सुदृढ़ीकरण को नई दिशा दी है। इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता व कार्य निष्पादन के रूप में बेहतर गति मिलेगी।

राज्य में डिजिटल इंडिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत कुल 314 तहसीलों में से 218 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के कार्यादेश राजस्व मण्डल स्तर से दिए गए, जिनमें से 50 का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही 314 तहसीलों में जमाबंदियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जा चुका है। ई धरती

सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमाबन्दी सेग्रीग्रेशन का कार्य कराया जा रहा है। राज्य के 47108 गांवों में से 331 तहसीलों के 46334 गांवों में सेग्रीग्रेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में 178 तहसीलों को ऑनलाइन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राज्य में काश्तकार एवं आमजन के हित में लिए जा रहे इन महत्वपूर्ण निर्णयों की सफल क्रियान्विति के लिए उच्च स्तर से जारी निर्देशों की पालना एवं तय कार्यक्रमानुसार निचले स्तर तक जवाबदेही सुनिश्चित करने की महती आवश्यकता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए साझा एवं सार्थक प्रयास करेंगे।

मुकेश कुमार शर्मा
अध्यक्ष

सम्पादकीय

सुधि पाठकगण,

सरकार की सकारात्मक एवं कल्याणकारी सोच को मूर्त रूप देने की दिशा में राजस्व मण्डल ने विगत एक वर्ष में कई उपलब्धियां अर्जित की है।

आरसीएमएस को प्रभावी ढंग से लागू करना जहां राजस्व वादों के निस्तारण में क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है वहीं लैण्ड रिकॉर्ड माडर्नाइजेशन के क्षेत्र में भी राज्य अग्रणी पंक्ति में आ खड़ा हुआ है। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, नक्शों का डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन जमाबन्दी, नामान्तरकरण, जमाबन्दी की ई साइन प्रति जारी करना, ई मित्र के माध्यम से पंजीयन जैसे कई नवाचार कृषक एवं आमजन के हित में किए जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक कदम है। इससे किसानों के अपने काम बगैर समय गंवाए आसानी से पूरे हो सकेंगे।

विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्व मण्डल में दर्ज 24201 प्रकरणों के मुकाबले 25745 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 767 पटवारियों की भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति, 344 भू अभिलेख निरीक्षकों को नायब तहसीलदार, 79 नायब तहसीलदार व 4 कार्यालय अधीक्षक कुल 83 को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया। साथ ही वर्ष 2018–19 में 16 सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय को सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम पद पर तथा 11 तहसील राजस्व लेखाकारों को सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में 05 सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय को सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम पद पर तथा 14 तहसील राजस्व लेखाकारों को सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति दी गई।

आशा है कि विभाग के स्तर पर बेहतर कार्य सम्पादन के लिए उठाए गए कदम लोक कल्याण की दिशा में कारगर साबित होंगे। राविरा का 120वां अंक भिजवाते हुए आपको नवीन ऊर्जा के साथ लोक कल्याण की दिशा में अपने दायित्वों के बेहतरीन निर्वहन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।

रेणु जयपाल
निबन्धक

राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन से कृषकों की डगर हुई आसान
ऑनलाइन नामान्तरकरण की ओर बढ़ता राजस्व विभाग

पवन कुमार शर्मा
जन सम्पर्क अधिकारी
राजस्व मंडल राज. अजमेर

कृषक के लिए आजीविका का सबसे बड़ा और एक मात्र स्रोत है उसकी भूमि। कृषि के साथ–साथ उसका बीमा, कृषक ऋण एवं अन्य विविध कृषक कल्याणकारी योजनाओं के लिए लैण्ड रिकॉर्ड व मानचित्रों की प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता किसानों को हमेशा रहती है।

पहले कृषकों को अपनी इन छोटी– छोटी जरूरतों के लिए अपना काम छोड़कर पटवार मण्डल, तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे। राजस्व कार्मिकों की अन्य कार्यों की प्राथमिकता एवं व्यस्तताओं के वलते काश्तकारों को समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाते थे। लेकिन लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत अब किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर रेकॉर्ड की उपलब्धता से यह राह उनके लिए आसान होने जा रही है। राज्य सरकार राजस्व विभाग के माध्यम से राजस्थान के सभी 33 जिलों में डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राजस्व रिकॉर्ड्स के ऑनलाइन किये जाने के कार्यक्रम को द्रुत गति से पूरा करने के पुरजोर प्रयास कर रही है। डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ''निर्णायक भूमि स्वत्व एवं स्वत्व गारंटी लागू करने के साथ राजस्थान में एक आधुनिक,व्यापक और पारदर्शी भू अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना करना है।

इस बहुद्देश्यीय कार्यक्रम को सफलतम एवं व्यावहारिक तौर पर लागू करने के लिए राज्य के पंजीयन एवं मुद्रांक, भू प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व विभाग पृथक–पृथक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम की गति का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 178 ऑनलाइन तहसीलों में ई–मित्रों के माध्यम से डिजिटल साइन अथवा ई–साइन जमाबन्दी व नक्शों की प्रतिलिपियाँ जारी की जाने लगी है। इस महती योजना को नेशनल लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के रूप में वर्ष 2008 में भारत सरकार के स्तर पर आरम्भ किया गया था, जिसे अब डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड माडर्नाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में भी इस योजना के तहत भू अभिलेख का आधुनिकीकरण कार्य किया जा रहा है।

आधुनिक रिकॉर्ड रूम

इस महती योजना के तहत राजस्थान में वर्ष 2015 में मॉडर्न रिकार्ड रूम का कार्य आरंभ किया गया था। राज्य की 314 तहसीलों में से 218 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। इनमें राज्य की 50 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है, 27 तहसीलों मे नवीन करार किए जाकर कार्यादेश देने का कार्य प्रगति पर है। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से तहसीलों में पुराने भवनों के स्थान पर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रिकॉर्ड रूम के साथ राजस्व रिकार्ड को स्केन कर सुरक्षित किया जा सकेगा। यहाँ हार्डवेयर की स्थापना तथा दूर–दराज से आने वाले काश्तकारों के बैठने की उचित व्यवस्था भी की जा रही है।

नक्शों का डिजिटाइजेशन

राजस्व नक्शों की सुरक्षा, मौके की स्थिति तथा राजस्व रिकार्ड में समानता लाने व नक्शे के साथ ही खातेदारों का विवरण अंकित करने व काश्तकारों को इन्टरनेट के माध्यम से रिकार्ड की जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर खसरा नक्शों के डिजिटाइजेशन का कार्य राज्य सरकार करवा रही है। इसमें सेटलमेंन्ट शीटों की स्केनिंग डिजिटाइजेशन, तरमीम तथा जमाबंदी से लिंक करने के कार्य भी शामिल हैं।

राज्य के 33 जिलों में इस प्रोग्राम के तहत 6 फर्मों के माध्यम से नक्शे डिजिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है अब तक राज्य के 48117 गांवों की 127815 शीट्स मे से 127682 शीट्स डिजिटाइज्ड हो चुकी हैं। इनमें से 121724 शीट्स तरमीम हेतु दी जा चुकी है तथा 63474 शीट्स को अंतिम तरमीम पूरी कर ई धरती सॉफ्टवेयर से लिंक कर दिया गया है। तहसीलों का डाटा पब्लिक डॉमिन पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से काश्तकार के नाम, पिता के नाम, खसरा नम्बर, खाता नम्बर आदि से जमाबन्दी की जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध हो पा रही है।

ऑनलाइन जमाबन्दी

काश्तकारों को रिकॉर्ड आदिनांक उपलब्ध कराने को लेकर एनआईसी द्वारा "ई–धरती" नामक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। जिसमें प्रत्येक खातेदार को पृथक रूप में चिन्हित करते हुए खातों का विस्तृत विश्लेषण, रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर से लिंकिंग व जमाबन्दी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड को भी कम्प्यूटराइज्ड किया जाना संभव हो सकेगा। वर्तमान में राज्य की 178 तहसीलों को ऑनलाइन कर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। राज्य की 314 तहसीलों में जमाबन्दियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जा चुका है, राज्य के 47108 गांवों में से 314 तहसीलों के 46334 गांवों में सेग्रिग्रेशन कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं।

स्वतः नामान्तरकरण

आमजन के पंजीकृत दस्तावेजों का नामान्तरकरण करना अब स्वतः संभव हो सकेगा। इस कार्य के लिए जयपुर की चौमू तहसील व गोविन्दगढ़ उप पंजीयक कार्यालय का पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया गया, जिसमें एलआरसी व पंजीयन सॉफ्टवेयर को लिंक किया जा रहा है। इसकी सफलता के बाद सभी ऑनलाइन तहसीलों में स्वतः नामान्तरकरण की व्यवस्था लागू किए जाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

इसी प्रकार विभाग द्वारा वर्तमान में काश्तकारों की सुविधा हेतु जमाबन्दी प्रतिलिपि, सीमा ज्ञान तथा नामान्तरकरण हेतु ई–मित्र के माध्यम से आवेदन का प्रावधान किया जा रहा है। अब ई–मित्र साफ्टवेयर को ई धरती सॉफ्टवेयर से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे स्वतः नामान्तरण किया जाना संभव होगा।

जमाबन्दी की ई–साइन प्रति

अब कृषक व आमजन को जमाबन्दी की ई–साइन्ड प्रतिलिपि उपलब्ध हो सकेगी। राज्य के झुन्झुनूँ जिले में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद सभी ऑनलाइन तहसीलों में ई– साइन्ड

प्रतिलिपि जारी करने का प्रावधान कर दिया गया है। राजस्व विभाग के 17 मई को जारी अधिसूचनानुसार ई मित्र के माध्यम से डिजिटल साइन / ई साइन जमाबन्दी व नक्शों की प्रतिलिपि जारी की जा रही है।

अपना खाता डॉट राजस्थान डॉट इन पर वेबसाइट पर सभी जिलों की सभी ऑफलाइन या ऑनलाइन तहसीलों की जमाबंदियॉ अपलोड कर दी गई है, जिससे आम जन की जानकारी के साथ–साथ प्रतिलिपि प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लाभ–

1. सुस्पष्ट स्वामित्व तथा स्वामित्व की सरकारी गारन्टी का लक्ष्य पूर्ण होगा।
2. राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण होगा।
3. नागरिकों को निम्न प्रत्यक्ष लाभ मिलेंगेः–

क. धरातलीय वास्तविकता पर आधारित रेकार्ड सुलभ हो सकेगा।

ख. समस्त भू–अभिलेख वैबसाइट पर सुलभ होगा।

ग. भू–अभिलेख सुलभ होने से नागरिकों एवं राज्य कार्मिकों के बीच अविश्वास एवं गलतफहमियों का निराकरण हो सकेगा।

घ. अधिकार अभिलेख की प्रतियों की प्राप्ति में अनावश्यक समय नष्ट नहीं होगा एवं आम नागरिक कभी भी एवं कहीं भी भू अभिलेख की आदिनांक प्रति आसानी से ले सकेगा।

ड. स्वचालित नामान्तरकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भू सम्पत्ति के हस्तान्तरण में धोखाधड़ी से बचाव होगा।

ट. कन्क्लूजिव टाइटल के फलस्वरूप अनावश्यक वाद–विवादों में कमी आयेगी।

ठ. ऋण सुविधाओं में ई–लिंकेज का उपयोग हो सकेगा।

ड. सही सूचना आधारित भूमि पास बुकें जारी हो सकेगी।

ढ. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की पात्रता संबधी सूचनाएं सुलभ हो सकेगी।

च. भू अभिलेखों के रख–रखाव में पारदर्शिता रहेगी।

च. अचल सम्पत्ति के स्वत्व की गारन्टी प्राप्त होगी।

छ. एक से अधिक कार्यकारी एजेन्सियों का आपस में समन्वय रहेगा।

ज. पंजीयन कार्यालय भूमि अभिलेख एवं केडेस्ट्रल समंक एक जैसे रहेंगे।

झ. मानकों में एकरूपता रहेगी अर्थात भूमि की एक ही विशेषता को इंगित करने के लिए एक ही मानक का प्रयोग किया जायेगा।

ञ. भू–अभिलेख में किसी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण काट–छांट की आशंका से बचा जा सकेगा।

त. भूमि की मौके की स्थिति और नक्शे की स्थिति हर समय एक जैसी मिलेगी।

थ. नवीन विधियों से किया गया सर्वेक्षण अतिशीघ्र होगा एवं इसमें त्रुटियां न्यूनतम होंगी।

दृ राज्य में वर्तमान में विभन्न नाप की जरीबों जो कि 110 फीट, 127.5 फीट, 132 फीट, 150

फीट, 152.5 फीट व 165 फीट है। इन सभी जरीबों की नाप की जगह सम्पूर्ण राजस्थान में एक ही नाप की 40 मीटर की मैट्रिक जरीब का उपयोग किया जायेगा, जिसमें सम्पूर्ण राजस्थान के समस्त ग्रामों के एक ही पैमाने पर नक्शे तैयार हो जायेंगे।

ध. कार्य पूर्ण हो जाने पर जमाबंदी, खसरा,नक्शा एवं नामान्तरण इन चारों अभिलेखों में समरूपता हो जायेगी जो वर्तमान में नहीं है। ये सभी एकरूपता के साथ ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेंगे।

न. जमाबंदी, खसरा व नक्शा तीनों अभिलेखों में समरूपता होकर ऑनलाइन ई–साइन्ड उपलब्ध हो जाने से आम काश्तकारों को तीनों अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अधिकृत केन्द्रों पर उपलब्ध हो जायेगी, जिससे काश्तकारों को पंजीयन कार्य, बैंकिंग संस्थानों व वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने, भूमि के समस्त प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु पटवारी अथवा तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

निश्चय ही राज्य सरकार के ये कदम आम जन के लिए अनूठी सौगात लेकर आएंगे। अब वह समय दूर नहीं जब ई मित्र पर दस्तावेज ऑनलाइन कर देने से वहां पंजीयन की सुविधा भी सुलभ होने लगेगी। रिकॉर्ड्स के ऑनलाइन से जहां डाटा सुरक्षित रह सकेगा वहीं छोटे– छोटे कार्यों के लिये राजस्व कार्यालयों के चक्कर काटने व अकारण कार्य लम्बित रहने से भी काश्तकारों को निजात मिल सकेगी। निश्चय ही राज्य सरकार के ये कदम भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी एवं समयबद्ध लोक सेवाओं के मुहैया कराने के संकल्प को मूर्त रूप में परिभाषित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे तथा ऐतिहासिक काल से चली आ रही कार्यप्रणाली को आधुनिक नवाचारों से जोड़े जाने से लोक कल्याण का नया अध्याय लिखा जायेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत संचालित फसल कटाई प्रयोग प्रणाली–एक परिचय

बीना वर्मा
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

किसानों के कल्याणार्थ समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जाती हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को उनकी फसल में हुई विभिन्न प्रकार की क्षतियों की पूर्ति की जा रही है। इस योजना में सरकार द्वारा प्रमुख फसलों के तहसील स्तर के एवं पटवार स्तर के औसत उपज उत्पादन समंक, फसल कटाई प्रयोग सम्पादित करा कर तैयार करवाए जाते हैं। इन किसानों को देय क्षतिपूर्ति में ये समंक एक सुदृढ़ आधार की भूमिका निभाते हैं।

फसल कटाई प्रयोगों की उक्त प्रणाली से न केवल फसल बीमा में सहायता मिलती है अपितु जिला व राज्य स्तर पर प्रमुख खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों व वाणिज्यिक फसलों हेतु उत्पादन अनुमान भी इन्हीं फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर निकाले जाते हैं। जिसके फलस्वरूप राष्ट्र की खाद्यान्न भण्डारण नीति, आयात–निर्यात नीति, फसलों के समर्थन मूल्य इत्यादि महत्वपूर्ण जनकल्याण की योजनाओं में निर्णय लिये जाते हैं।

भारत सरकार के एन एस एस ओ व राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के दिशा निर्देशन में फसल कटाई प्रयोगों की आयोजना निर्माण से लेकर उत्पादन समंक तैयार करने का कार्य राजस्व मण्डल द्वारा बहुस्तरीय यादृच्छिक पद्धति से गत 60 वर्षों से किया जा रहा है।

फसल बीमा लागू होने से पूर्व उक्त प्रयोग केवल तहसील स्तर पर लगभग 15000 की संख्या में आयोजित किये जाते थे, जो उक्त योजना के उपरान्त बढ़कर एक वर्ष में लगभग 240000 प्रयोग खरीफ की 15 फसलों (बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, धान, तिल, ग्वार, उड़द, गन्ना, कपास, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन, चंवला) एवं रबी की 11 फसलों (गेहूँ, सरसों, चना, जौ, जीरा, तारामीरा, मसूर, धनिया, मैथी, ईसबगोल, रबी मक्का) में आयोजित किये जा रहे हैं।

फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया

फसल कटाई प्रयोगों को आयोजित करने के लिये वर्ष में 2 बार (खरीफ एवं रबी) तहसीलों व फसलों का चयन कृषि विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी कर किया जाता है। अधिसूचना अनुसार पूरे राज्य के फसल कटाई प्रयोगों हेतु ग्रामों का चयन कर आयोजना का निर्माण राजस्व मण्डल द्वारा किया जाता है। फसल कटाई प्रयोगों को त्रुटि रहित,नियमानुसार सम्पादित करने एवं सरकार द्वारा समय समय पर किये गये संशोधनों को फील्ड तक पहुंचाने के उद्देश्य से मण्डल द्वारा यथा समय व आवश्यकतानुसार जिला स्तर से भू अभिलेख शाखा,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग व कृषि विभाग के प्रतिनिधियों को मण्डल स्तर पर बुलाकर अद्यतन प्रशिक्षण दिया

जाता है। उक्त आयोजना के अनुरूप जिला स्तर से प्राथमिक कार्यकर्ताओं में प्रयोगों का विभाजन किया जाता है। कार्य प्रारम्भ से पूर्व प्राथमिक कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण उपरान्त प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व निर्धारित पद्धति से खसरा चयन कर, चयनित खसरे में फसल कटाई प्रयोग हेतु प्लॉट निर्धारण किया जाता है। फसल कटाई के पूर्व प्राथमिक कार्यकर्ता द्वारा फसल कटाई प्रयोग से संबंधित सामान्य जानकारी तालिका 1 में भरी जाती है तथा कृषक से वार्ता अनुसार फसल कटाई की निर्धारित दिनांक पर पहुंच कर,उक्त प्लॉट की फसल को अपने सामने पृथक से कटवाकर गीली जिंस का तोल अंकित किया जाता है और फसल को सूखने हेतु सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। सुखाई की निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर सूखी जिंस का तोल तालिका 2,3 में अंकित कर 3 प्रतियों में तहसील कार्यालयों के माध्यम से 2 प्रतियों में जिला स्तर को प्रेषित की जाती है। जिला स्तर से 1 प्रति मण्डल कार्यालय को प्रेषित की जाती है। प्रयोगों का सम्पादन कार्य सही तरीके से पूरा हो इसलिये विभिन्न एजेन्सियों यथा राजस्व, कृषि, सांख्यिकी, पंचायतीराज व एन एस एस ओ द्वारा फील्ड पर निरीक्षण भी सम्पन्न किये जाते हैं।

जिला स्तर पर तालिका से वजन संबंधी समंकों से सांख्यिकी विभाग द्वारा तहसील/पटवार स्तरीय औसत उपज समंक तैयार कर कृषि विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किये जाते हैं।

जिला स्तर से मण्डल स्तर को प्रेषित तालिका से मण्डल द्वारा जिला एवं राज्य स्तरीय उत्पादन अनुमान एवं अन्य विविध प्रतिवेदन तैयार कर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (SASA) राज्य सरकार के माध्यम से कृषि विभाग भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं।

राजस्थान में कृषकों के अधिकार

शंकरलाल बलाई
तहसीलदार
राजस्व मंडल, अजमेर
आर.टी.एस. अनुभाग

राजस्थान प्रदेश में किसानों को उनके अधिकारों एवं हक–हकूकों को भली प्रकार जानकारी प्रदान करना राजस्व विभाग के कार्य दायित्वों में सम्मिलित है। विभाग के जिला स्तर से पटवार मण्डल तक के कार्यालयों के अधिकारी एवं कार्मिक, कृषकों को समय–समय पर उनके मौलिक अधिकारों की कमोबेश जानकारी देते रहते हैं।

जिला राजस्व प्रशासन द्वारा जारी दस्तावेज में इन्तकाल खुलवाने, खेतों का सीमा ज्ञान कराने, रास्तों के विवादों का निपटारा, जोत विभाजन, रिलीज डीड द्वारा हक त्यागने अशुद्धियों को सुधरवाने, कई तरह के प्रमाण पत्र बनवाने खातेदारी अधिकार दिलाने, अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने, कृषि भूमि से पेड़ हटाने, राजस्व रेकॉर्ड को निःशुल्क देखने एवं नकल प्राप्त करने, पास बुक प्राप्त करने, दस्तावेजों का पंजीयन तथा अजा–जजा की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे से बेदखली आदि अधिकारों को प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया है।

1. **इन्तकाल खुलवाने का अधिकार** :– काश्तकार 10 रुपये प्रति खाता शुल्क चुका कर फौती, विक्रय, दान, भेंट आदि इन्तकाल खुलवा सकता है। इस हेतु पटवारी को प्रार्थना पत्र देना होगा। पटवारी अधिकतम 7 दिवस में जांचकर गिरदावर के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। गिरदावर को अगले 10 दिवस के भीतर जांच करनी होगी। गिरदावर की जांच के बाद पटवारी इसे ग्राम पंचायत को पेश करेगा। पंचायत द्वारा 30 दिनों में निर्णय नहीं किये जाने पर अगले अधिकतम 30 दिनों की समय सीमा में तहसीलदार या नायब तहसीलदार को इन्तकाल पर निर्णय करना होगा।

2. **खेतों मे सीमाज्ञान कराने का अधिकार** :– कोई भी खातेदार या गैर खातेदार 100 रुपये शुल्क देकर 5 एकड़ भूमि तक तथा 200 रुपये शुल्क देकर 10 एकड़ तक तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि का 400/रुपये में सीमा ज्ञान करा सकता है। काश्तकार सीमाज्ञान हेतु पटवारी या तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दे सकता है। आवेदन करने के अधिकतम 15 दिन के भीतर पटवारी सरपंच या वार्ड पंच के सामने खेत का सीमाज्ञान कर सीमा चिन्ह लगायेगा।

3. **रास्तों के विवाद का निपटारा** :– रास्ते संबंधी विवाद के निपटारे हेतु तहसीलदार या पंचायत को प्रार्थना पत्र देना होगा। तहसील में प्राप्त प्रार्थना पत्र को अधिकतम 3 दिन के भीतर संबंधित पंचायत के पास भेजा जायेगा। पंचायत अधिकतम 45 दिनों के भीतर रास्ते के विवाद का निस्तारण करेगी। ऐसा नहीं होने पर अगले अधिकतम 30 दिनों के भीतर तहसीलदार द्वारा रास्ते के विवाद का निस्तारण धारा 251 काश्तकारी अधिनियम के तहत दिया जायेगा। इस हेतु मात्र 2 रुपये की कोर्ट फीस देनी होगी।

4. **जोत विभाजन कराने का अधिकार** :– सह खातेदार अपनी सहमति से तहसील कार्यालय में आवेदन कर अपने खाते का बंटवारा करा सकते हैं। सह खातेदार आपसी

सहमति से अब अपने हिस्से को असमान हिस्सों में अर्थात् अपने हिस्से को कम या अधिक करवाते हुए भी बंटवारा करवा सकते हैं।

5. **कुआं खुदवाने एवं पम्पिंग सेट** – स्थापना भूमि आवंटन / नियमन के अधिकार :– कुएं खोदने बाबत् 1979 के नियमों के अन्तर्गत कोई भी खातेदार कृषक अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु 5 बिस्वा तक अपनी भूमि के समीप स्थित चारागाह या राजकीय भूमि पर कुआं खुदवाने/पम्पिंग सेट/ट्यूब वेल स्थापित करने हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संबंधित काश्तकार भूमि की कीमत के रूप में 500 रुपये तथा पट्टा किराया 25 रुपये जमा कराकर आवंटन/ नियमन 3 वर्ष की अवधि के लिए गैर खातेदारी हक से करा सकेगा एवं 3 वर्ष के पश्चात् उक्त आवंटित/नियमित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. **अशुद्धियों को सुधरवाने का अधिकार** :– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में हुई लिपिकीय त्रुटियों एवं सेटलमेन्ट द्वारा की गई त्रुटियों जैसे – नाम शुद्ध करवाना, वल्दियत शुद्ध करवाना, रकबे में कमी–बेशी करना आदि अशुद्धियों को उपखण्ड अधिकारी रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर पक्षकारों की संक्षिप्त सुनवाई कर सेटलमेन्ट से पूर्व पश्चात् के नम्बरों के रकबे का मिलान कर रकबा कमी–बेशी की गलत प्रविष्टियों को सही कराने का आदेश दे सकेगा।

7. **प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार** :– दो रुपये की कोर्ट फीस के साथ निर्धारित आवेदन पत्र पर जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण या हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पटवारी या तहसील कार्यालय को आवेदन किया जा सकेगा। पटवारी अधिकतम 3 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र के संबंध में रिपोर्ट देगा। पटवारी की रिपोर्ट के अधिकतम 7 दिन के अन्दर जाति प्रमाण पत्र को अपनी अनुशंषा सहित उपखण्ड अधिकारी या एडीएम (सिटीएडीएम) को भेज देगा, जो अगले अधिकतम 3 दिन के भीतर जाति प्रमाण पत्र देगा। वृद्धावस्था/ विधवा/विकलांग पेंशन हेतु पात्र व्यक्ति निःशुल्क आवेदन कर सकता है। ऐसे पेंशन प्रार्थना पत्र तहसीलदार को अधिकतम 15 दिनों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी को एवं शहरी क्षेत्रों के प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजने होंगे।

8. **खाते में लिपिकीय भूल शुद्धि करने का अधिकार** :– यदि लिपिकीय भूल से जमाबन्दी में अशुद्धि हो जाती है तो काश्तकार 2 रुपये की कोर्ट फीस पर जमाबन्दी की नकल सहित तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को अधिकतम एक माह के भीतर खाते को शुद्ध करना होगा।

9. **खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार** :– असिंचित क्षेत्र में प्रत्येक गैर खातेदार भूमि आवंटन के तीन वर्ष पश्चात् 2 रुपये की कोर्ट फीस के साथ आवेदन कर सकता है।

10. **कमाण्ड क्षेत्र में खातेदारी अधिकार प्राप्त करना** :– राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

1954 की धारा 9(1) के प्रावधानानुसार उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् क्रय राशि तथा सरकार को संदाय किये जाने तथा समस्त अनुबंधो को सम्यक रूप से अनुपालन किये जाने पर आवंटी सनद फीस के रूप में 25 रुपये का संदाय सरकार को संबंधित उपखण्ड अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है।

11. **अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार** :– बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने हेतु काश्तकार को अदेय (नोड्यूज) प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। काश्तकार को चाहिए कि वह आवेदन के साथ जमाबन्दी को नकल एवं पटवारी की रिपोर्ट संलग्न करें। तहसीलदार को अभिलेख की जांचकर उसी दिन प्रमाण पत्र जारी करना होता है।

12. **कृषि भूमि से पेड़ हटाने संबंधी अधिकार** :– राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक/6(23) राज/4/879/12 दिनांक 29.9.89 से राजस्थान अभिवृत्ति सरकारी नियम 1955 के नियम 23 ई. के उपनियम (1) में परन्तुक जोड़ा गया। काश्तकार की जोत पर खड़े अन्य किसी किस्म के वृक्षों को हटाने के लिए 15 पेड़ तक संबंधित तहसीलदार से एवं 15 पेड़ से अधिक की स्वीकृति उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त कर सकेंगे, किन्तु एक कलेण्डर वर्ष में 10 प्रतिशत से अधिक पेड़ों को नहीं हटा सकेंगे।

13. **राजस्व रेकार्ड को मुफ्त देखने एवं नकल प्राप्त करने का अधिकार** :– (अ) काश्तकार पटवारी का रिकार्ड मुफ्त देख सकता है एवं पैंसिल नोट प्राप्त कर सकता है।

पटवारी स्तर के अतिरिक्त भी सीधे तहसील के कम्प्यूटर सेल से बिना किसी देरी के राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त की जा सकती है।

14. **पास बुक प्राप्त करने का अधिकार** :– अनुसूचित जाति–जनजाति के काश्तकारों द्वारा 5 रूपये एवं अन्य काश्तकारों द्वारा 10 दिन रुपये फीस चुकाने पर पटवारी को अधिकतम 3 दिन के भीतर पास बुक देनी होगी।

15. **दस्तावेज पंजीयन संबंधी जानकारी** :– (1) कृषि भूमि विक्रय पत्र पर 5 प्रतिशत मुद्रांक कर व एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिये जाने का प्रावधान है। जिसमें कई बार छूट देकर 3 व 4 प्रतिशत पर भी पंजीयन किया जाता है।

(2) महिलाओं को कृषि भूमि क्रय में स्टाम्प शुल्क रियायत है। सामान्य महिला के लिये 4 फीसदी जबकि अजा व जजा महिला को 3 फीसदी स्टाम्प शुल्क देना होगा।

(अ) महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर में महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि हस्तातंरण के दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क में 1 व 2 प्रतिशत की छूट दी गई है अर्थात् 5 प्रतिशत से घटाकर 3 व 4 प्रतिशत कर दी है, या पुरुष एवं महिला के संयुक्त खातों पर एक हजार वर्ग गज से कम पर नहीं है।

(ब) गैर पैतृक सम्पत्ति के लिए हक परित्याग के दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क 11 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत होगा।

(3) कृषि भूमि विक्रय अनुबंध के पंजीयन पर 5 प्रतिशत मुद्रांक कर एवं 1 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिये जाने का प्रावधान है। ऐसे अनुबंध की पालना में अंतिम रूप से पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के पंजीयन के समय उक्त 3 प्रतिशत भुगतान की गई मुद्रांक कर राशि समायोजित किये जाने का प्रावधान है। ऐसे अनुबंध 3 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे।

16. **(4) कृषि भूमि का विनिमय (धारा 48 काश्तकारी अधिनियम)** :– कृषि भूमि विनिमय के आदेश तहसीलदार द्वारा किये जाने के पश्चात् दस्तावेज के पंजीयन शुल्क का भुगतान कर उप पंजीयक के यहां पंजीयन कराया जा सकता है।

(5) दस्तावेज का पंजीयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है जिसका अवलोकन तहसील/ उप पंजीयक कार्यालय में बिना किसी शुल्क से किया जा सकता है।

17. **(6) मौका निरीक्षण के संबंध में** :–

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के हस्तान्तरण वाले दस्तावेज का पंजीयन, बिना मौका निरीक्षण किये ही प्रस्तुत करने के दिन ही पंजीयन करके लौटाया जायेगा।

नगरपालिका के सीमा क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के हस्तांतरण के मामले में मौका निरीक्षण किया जायेगा।

दस्तावेज के साथ नवीनतम संलग्न खसरा गिरदावरी की गत चार वर्षों की खसरा गिरदावरी संलग्न की जावे। यदि सिंचित भूमि की दर से स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है तो भी खसरा गिरदावरी प्रस्तुत करना आवश्यक है, क्योंकि यह नवीन चाह एवं निर्माण के लिए आवश्यक है।

(7) पांच वर्ष का पंजीयन रिकार्ड संबंधित उप पंजीयक कार्यालय में, 50 वर्ष तक का जिला मुख्यालय एवं 50 वर्ष से अधिक समय का रिकॉर्ड महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय में उपलब्ध रहता है। जहां से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जा सकती है।

18. **अनुसूचित जाति/ जनजाति की भूमि पर अवैध कब्जे से बेदखली** :– अनुसूचित जाति या जनजाति द्वारा धारित भूमि पर यदि कोई अन्य व्यक्ति (चाहे वह अ.जा./अ.ज.जा. या सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो) बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लेता है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। यह उल्लेखनीय है कि अतिक्रमी एस.सी./एस.टी./सामान्य वर्ग का हो सकता है।

19. **भूमि रूपान्तरण** :– ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय /औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि रूपान्तरण कराने हेतु तहसीलदार को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

आवासीय कार्य हेतु भूमि रूपान्तरण के लिए 5 हजार से कम आबादी के गांव में 500 वर्ग मी. तक निःशुल्क।

राजस्व कानूनों में विरोधाभास के समाधान हेतु संशोधन के संबंध में विचार/सुझाव

सुन्दरलाल बम्बोड़ा
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा – उदयपुर

1. समस्या :– विनिमय RT Act 1955 के की धारा 48 के संबंध में

विनिमय RT Act 1955 के की धारा 48 के तहत खातेदार आपस में भूमि विनिमय कर सकते हैं किन्तु यह प्रतिबंध भी लगा रखा है कि एससी/एसटी वर्ग के व्यक्ति एससी, एसटी वर्ग के व्यक्ति से ही विनिमय कर सकते है। जो आज के परिप्रेक्ष्य में संशोधन की आवश्यकता है।

सुझाव :– चूंकि एक एससी, एसटी परिवार की भूमि के पास अगर दो बीघा भूमि सामान्य परिवार की है और किसी सामान्य परिवार की भूमि के पास एससी, एसटी परिवार की दो बीघा भूमि है जिसका अगर विनिमय किया जाता है तो एससी, एसटी परिवार की भूमि भी एक चक में हो सकती है एवं सामान्य परिवार की भूमि भी एक चक हो सकती है जिससे दोनो वर्ग के खातेदारों को एक जगह एक चक के रूप में भूमि उपलब्ध हो सकती है जिससे भूमि सुरक्षित रहेगी, कृषि कार्य में सुविधा मिलेगी एवं पैदावार में बढ़ोतरी होगी।

इस प्रतिबंध को हटाने से एससी/एसटी परिवार के द्वारा जितनी भूमि का विनिमय किया जा रहा है। उतनी ही भूमि पुनः सामान्य वर्ग से प्राप्त हो रही है। विनिमय में किसी वर्ग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इससे एससी/एसटी वर्ग को काफी राहत मिलेगी।

इस प्रतिबंध से एक कृषक को दो टुकड़ों में खेती करने एवं खेती की सुरक्षा के लिए जाना पड़ता हैं, जिससे पैदावार प्रभावित होती जो आज के परिप्रेक्ष्य में विनिमय में प्रतिबंध रखा जाना उचित नहीं है। चूंकि इससे दोनों वर्गों को नुकसान हो रहा है। कृपया इस पर विचार फरमावें।

2. समस्या : राजकीय भूमि से खातेदारी भूमि के विनिमय का प्रावधान

गांवों में कई जगह खातेदारी भूमियों में विद्यालय भवन आंगनवाड़ी केन्द्र पंचायत भवन, आयुर्वेदिक औषधालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य राजकीय भवन बने हुए हैं तथा कहीं–कहीं खातेदारी में होकर आम सरकारी रास्ता/सड़क भी गुजर रही है, जिनको लेकर भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं जिससे भूमि सम्बन्धित विभाग के नाम नहीं हो पा रही है, और इसके अभाव में स्वीकृत बजट भी लेप्स होता हैं और मौके पर रास्ते भी दुरस्त नही हो पाते हैं।

इन समस्याओं के समाधान हेतु मेरा विचार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 (क) के रूप में अलग से यह प्रावधान जोड़ा या सरकारी आम रास्ता निकल रहा है तो उस रकबे के अनुपात में उस खातेदार को राजकीय भूमि विनिमय/आवंटन करने का प्रावधान हो ताकि जिला कलेक्टर महोदय/उपखण्ड अधिकारी उस प्रावधान के तहत कार्यवाही कर तुरन्त समस्या का समाधान कर सके।

इस प्रकार के प्रावधान से नवसृजित तहसील/उपखण्ड/पंचायत समिति/उप तहसील आदि भवन निर्माण के लिए भी आसानी से जमीन उपलब्ध हो पायेगी और राजकीय भवन निर्माण में कोई समस्या नही आयेगी और आमजन को सुविधा मिलेगी। जो विचार करने योग्य है।

3. समस्या :– हिन्दू उत्तराधिकार कानून एवं पंजीयन कानून में विरोधाभास से भोला भाला किसान ठगा जा रहा

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं पंजीयन कानून में विरोधाभास होने से प्रदेश में कई भोले भाले काश्तकारों को नुकसान हो रहा है।

जैसे रामलाल नाम के खातेदार के नाम भूमि दर्ज है, जो पैतृक भूमि है, रामलाल के वारिसान के रूप में दो पुत्र, दो पुत्रियां है किन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि खातेदार रामलाल के नाम पर ही दर्ज होने से खातेदार द्वारा भूमि विक्रय करने पर पंजीयन नियमों के तहत विक्रय पत्र पर कोई रोक नहीं होने से खातेदार रामलाल के द्वारा पांच बीघा भूमि किसी व्यक्ति को रजिस्टर दस्तावेज से भूमि विक्रय की गई है और उस भूमि का क्रेता के पक्ष में नामान्तरण भी दर्ज होकर रेकार्ड में क्रेता के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है।

भूमि विक्रय करने के बाद में खातेदार के वारिसान के द्वारा आपत्ति की जाती है कि भूमि पैतृक है अकेले पिता को विक्रय करने का अधिकार नहीं है उसमें हमारा भी हक हिस्सा है और इस बात को लेकर खातेदारी की घोषणा हेतु न्यायालय में वाद दायर करते हैं जो काफी वर्षों बाद न्यायालय द्वारा भी भूमि को पैतृक मानते हेतु खातेदार एवं उसके वारिसान का बराबर हिस्सा मानते हुए पुत्र व पुत्रियों का 4/5 हिस्सा घोषित कर देते हैं ऐसी स्थिति में क्रेता के खाते में 5 बीघा के स्थान पर 1 बीघा भूमि ही रह जाती है, और उस काश्तकार के साथ धोखा हो जाता है। अर्थात उस काश्तकार का धन एवं धर्म दोनों जाता है।

इस प्रकार के विरोधाभासी कानून के कारण काश्तकार ठगा जा रहा है और रक्षक ही भक्षक वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। प्रदेश में इस प्रकार में इस प्रकार के हजारों भोले भाले कृषक, विरोधाभासी कानून के शिकार हो रहे हैं। न्यायालयों में इस प्रकार के काफी तादाद में प्रकरण भी विचाराधीन हैं।

सुझाव :– इस समस्या के समाधान हेतु मेरा विचार है कि, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत मृतक किसी खातेदार की भूमि विरासत से वारिसान के नाम दर्ज होती है उसी तरह धारा 40 (अ) के रूप में यह प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए कि किसी खातेदार के नाम विरासत के समय जीवित पुत्र पुत्रियों के नाम के साथ–साथ पौत्र पौत्रियों के नाम भी खातेदार के रूप में रेकार्ड में नाम दर्ज करने का प्रावधान कर दिया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार रेकार्ड में समस्त वरिसान के नाम भूमि दर्ज होगी। ऐसी स्थिति में खातेदार अपने नाम की ही भूमि विक्रय कर पायेगा अन्य वारिसान की भूमि आगे विक्रय नहीं होगी तथा जितना रकबा/हिस्सा खातेदार के नाम होगा उतना ही रकबा वह विक्रय कर सकेगा और वह विक्रय पत्र हमेशा–हमेशा के लिए स्थायी होगा।

उदाहरण

जैसे खातेदार रामलाल पिता सोहनलाल के नाम भूमि दर्ज है रामलाल के विधिक वारिसान में पुत्र रतनलाल, शंकरलाल एवं दो पुत्रियां राधा व सीता है।

रामलाल के विधिक वारिसान का सजरा इस प्रकार है :–

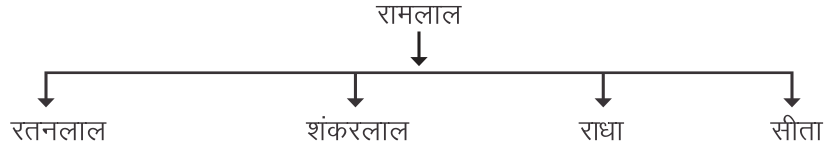

इस प्रकार कार्यवाही करने से रामलाल के नाम की भूमि में रामलाल का हिस्सा 1/5, रतनलाल पिता का रामलाल का 1/5 शंकरलाल पिता रामलाल का 1/5, राधा पिता रामलाल 1/5 व सीता पिता रामलाल 1/5 इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज होने पर अगर रामलाल अपना हिस्सा विक्रय करना चाहेगा तो, मात्र अपना 1/5 हिस्सा ही रेकार्ड अनुसार विक्रय कर सकेगा। इससे इस विक्रय पत्र को वारिसान द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। रामलाल के अन्य वारिसान का हिस्सा सुरक्षित रहेगा अगर रामलाल के एक पुत्र और होता है तो उसका नाम जन्म प्रमाण के साथ आवेदन करने पर राजस्व रेकार्ड में रामलाल के नवीन पुत्र का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो जायेगा। इस प्रकार का प्रावधान कानून में किया जाता है तो भोला भाला क्रेता किसान के साथ धोखा नहीं होगा और न्यायालयों में राजस्व मुकदमों में भी कमी आयेगी।

4. समस्या :– डीआईएलआरएमपी के कार्य को गति प्रदान करने के संबंध में

राजस्थान सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में डीआईएलआरएमपी का कार्य कराया जा रहा है जो कि सरकार की महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्य में वन टू वन मेपिंग के दौरान भू प्रबन्ध विभाग से रही कई त्रुटियां सामने आ रही है जैसे नक्शे में बटा नम्बर दे दिया और जमाबन्दी में रकबा दर्ज नहीं हैं या नक्शे में किसी नंबर को बन्द नहीं किया जिससे रकबा मेल नहीं खा रहा है या खातेदारों के हिस्से में भूल हुई हो इस प्रकार की कई त्रुटियों को दुरस्त करवाने हेतु तहसीलदार द्वारा रेकार्ड एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट के साथ धारा 136 के तहत प्रकरण तैयार कर उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाता है, जिस पर उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण समझ कर निर्णय करने में समय लगता है और कार्य प्रभावित होता है।

सुझाव :– इसके समाधान हेतु मेरा विचार है कि प्रदेश में डीआईएलआरएमपी कार्य समाप्ति तक धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अधिकार उपखण्ड अधिकारी के साथ–साथ तहसीलदारों को भी दे देना चाहिये ताकि छोटी मोटी त्रुटियों का निस्तारण तहसील स्तर पर भी किया जा सकें, और कार्य को गति प्रदान की जा सकें।

इस धारा में तहसीलदार को अधिकार देने से डीआईएलआरएमपी के कार्य में गति आयेगी

और फील्ड स्टाफ के सामने मौके पर आ रही समस्याओं का निस्तारण भी शीघ्र हो सकेगा।

समय–समय पर राजस्थान सरकार के द्वारा पूर्व में जहां भी नवीन सेटलमेन्ट/भू–प्रबंध कार्यवाही हुई है, उस दौरान भी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अधिकार उपखण्ड अधिकारी के साथ तहसीलदार को दिए गए थे, जिससे मौके पर आई समस्याओं का निस्तारण भी शीघ्र हुआ और किसानों को राहत मिली।

5. समस्याः– सड़कों पर बैठे पशुओं से रात्रि के समय दुर्घटना बाबत्

गांवों एवं शहरों में रात्रि के समय कई आवारा पशु सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे रोज कई दुर्घटनाएं हो रही है। यह समस्या वर्तमान में पूरे प्रदेश की समस्या हैं। ऐसे आवारा पशुओं से दुर्घटना ग्रस्त परिवार को सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से लाखों रूपयों की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह समस्या दिनों दिन बढ़ रही है इस पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है।

सुझाव :– (1) इस समस्या के समाधान हेतु मेरा विचार है कि जिस किसी व्यक्ति का पालतू पशु या आवारा पशु हो उन पशुओं के सींग पर रेडियम युक्त लाल कलर का स्टिकर लगा दिया जाता है या उसके गले में रेडियम युक्त कपड़ा बांध दिया जाता है, तो रात्रि के दौरान दूर से ही वाहन चालक को सड़क पर बैठा पशु नजर आ जायेगा ताकि वाहन चालक उस पशु को बचाते हुए निकल जायेगा और दुर्घटना भी नहीं होगी।

इस कार्य हेतु राजस्थान सरकार की ओर से इस आशय का आदेश जारी हो कि प्रत्येक पशुपालक के द्वारा अपने पशु के सींग पर रेडियम युक्त लाल कलर का स्टिकर या गले में रेडियम युक्त कपड़ा बांधा जाये और आवारा पशु के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत को आदेशित किया जाना चाहिए कि आवारा पशु जो ग्राम पंचायत की सीमा में है उनके सींगों पर ग्राम पंचायत के माध्यम से रेडियम युक्त लाल कलर का स्टिकर या रेडियम युक्त कपड़ा गले से बांधा जाये ताकि दूर से भी पशु नजर आ सके और दुर्घटना से बचा जा सके।

इस प्रकार का प्रावधान या आदेश अरने से सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष से लाखें रुपयों का भुगतान जो दुर्घटनाओं के करना पड़ रहा है, उसमें कमी आयेगी एवं वाहन चालक/पशु (गौवंश) भी दुर्घटना से बच सकेगा। यह कार्य सरकार के जनकल्याणकारी होगा।

सुझाव :– (2) पेरा (1) में वर्णित सुझाव के साथ एक निवेदन यह है कि प्रत्येक ग्राम में सार्वजनिक कांजी हाउस की व्यवस्था पुनः चालू करवायी जावे ताकि आवारा पशुओं को रात्रि के दौरान कांजी हाउस में भी छोड़ा जा सके।

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्राप्त उपलब्धियां

(दिसम्बर 2018– दिसम्बर 2019)

1– विभागीय पदोन्नति समिति –

ए– निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार संवर्ग

भू–अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार की रिव्यू डीपीसी वर्ष 2013–14 से 2015–16 एवं 2016–17 से 2019–20 तक की नियमित डीपीसी का आयोजन दिनांक 04.11.19 को किया जा चुका है। वर्तमान में कोई डीपीसी किया जाना शेष नहीं है।

बी– नायब तहसीलदार से तहसीलदार संवर्ग

तहसीलदार पद की वर्ष 19–20 की डीपीसी का आयोजन दिनांक 28.8.19 को किया जा चुका है।

तहसीलदार पद की वर्ष 2015–16 से 2019–20 की रिव्यू डीपीसी कराये जाने के प्रयोजनार्थ राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान जयपुर को मण्डल के पत्र क्रमांक 10294 दिनांक 22.10.19 को रिव्यू नोट प्रेषित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत रिव्यू डीपीसी किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

सी– तहसीलदार पद से आर.ए.एस. संवर्ग

तहसीलदार से आर.ए.एस. के पद की विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन कार्मिक विभाग स्तर पर किया जाता है। जिसमें तहसीलदारों से संबंधित समस्त सूचना विभागीय जांच, दण्ड व वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों का असेसमेंट तैयार कर मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तहसीलदार से आरएएस पद की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2019–20 तक की डी.पी.सी. हो चुकी है ।

2– वरिष्ठता सूचियां –

ए– नायब तहसीलदार संवर्ग –

भू–अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार की रिव्यू डीपीसी वर्ष 2013–14 से 2015–16 एवं 2016–17 से 2019–20 तक की नियमित डीपीसी का आयोजन दिनांक 04.11.19 को किया जा चुका है। नायब तहसीलदारों की 1.4.2019 की स्थिति की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन मण्डल की विज्ञप्ति क्रमांक 5688 दिनांक 12.06. 2019 को किया जा चुका है ।

बी– तहसीलदार संवर्ग –

तहसीलदार संवर्ग की डीपीसी वर्ष 2019–20 तक का आयोजन दिनांक 28.08.2019

को किया जा चुका है। तहसीलदार संवर्ग की दिनांक 1.4.2019 तक की अंतिम वरिष्ठता सूची मण्डल की विज्ञप्ति क्रमांकः 5098 दिनांक 31.05.2019 द्वारा जारी की जा चुकी है ।

3— प्रशिक्षण कार्यक्रम —

मण्डल के आदेश दिनांक 01.07.2019 द्वारा सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनको प्रशिक्षण हेतु ए.पी.आर.टी.एस. टोंक एवं आर.आर.टी.आई. अजमेर आवंटित किया गया था। जिस क्रम में प्रशिक्षण पश्चात 197 नायब तहसीलदारों का पदस्थापन जिलों में कर दिया गया।

4— सूचना का अधिकार —

दिनांक 01.01.2019 से 04.12.2019 के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त 49 आवेदन पत्रों का निस्तारण कर संबंधित को सूचना/ प्रत्युत्तर प्रेषित किया जा चुका है।

रीडर्स का प्रशिक्षण

राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों का शीघ्र निस्तारण, विविध कानूनी प्रावधान, त्रुटिरहित कार्य निष्पादन, पीठासीन अधिकारियों के दायित्व एवं शक्तियां, आरसीएमएस पोर्टल के तहत नवाचारी कदम एवं उपयोगिता सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय आधारित संभाग स्तरीय रीडर्स प्रशिक्षण जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब में 18 से 29 नवम्बर तक पांच चरणों में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री संजय मल्हौत्रा सहित राजस्व विषय विशेषज्ञों ने विषय आधारित जानकारी संभागियों को प्रदान की।

प्रत्येक संभाग के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण में राज्य के संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर स्तरीय राजस्व न्यायालयों के रीडर्स ने भाग लिया।

न्याय की डगर हुई आसान

राजस्व मंडल ने 3 वर्ष में 25745 प्रकरण निपटाए

हर वर्ष शताधिक उपलब्धि

आमजन को त्वरित न्याय अथवा राहत प्रदान करना ही सफल लोकतंत्र का मूल मंत्र कहा जा सकता है। सरकार की ओर से जनता के अभाव अभियोगों पर त्वरित कार्यवाही कर समस्याओं को दूर करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कारगर कदम उठाए गए हैं साथ ही उनके हित संरक्षण एवं सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नवाचारों को लागू किया गया है। राजस्व मंडल राजस्थान में भी आमजन के हित में उठाए गए ऐसे कारगर कदम आमजन को त्वरित राहत देने के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

राजस्व मंडल प्रशासन के स्तर पर मंडल में दर्ज राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को लेकर किये गए अभिनव प्रयासों का ही परिणाम है कि विगत 3 वर्षों से दर्ज प्रकरणों की तुलना में 100 फीसदी से भी अधिक मुकदमों का निस्तारण किया जाना संभव हो पाया है। मंडल के माध्यम से विगत 3 वर्षों में दर्ज कुल 24201 वादों के मुकाबले 25745 वादों का निस्तारण किया गया है जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। राजस्व मंडल में वर्ष 2019 में जहां दर्ज प्रकरणों के मुकाबले 106.37 फीसदी प्रकरणों का निस्तारण करना संभव हो पाया वहीं वर्ष 2018 में 106 फीसदी तथा वर्ष 2017 में 107 फीसदी प्रकरण निस्तारित करने का कीर्तिमान बना है। नियमित कोर्ट्स का संचालन, प्रकरणों को पूरी तैयारी से पेश किया जाना, कोर्ट वर्क में नियमितता एवं गतिशीलता जैसे कई ऐसे सकारात्मक कारक हैं जो त्वरित न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

आरसीएमएस से आई पारदर्शिता

राजस्व मंडल के पूर्ण डिजिटाइजेशन के महत्वपूर्ण कदम से रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मण्डल की दैनिक बाद सूची, मुकदमों की तारीख, लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी आमजन को अब मोबाइल पर ही हासिल होने लगी है। आरसीएमएस एप के जरिए पीठासीन अधिकारी की सुनवाई, फैसलों, मुकदमों की स्थिति आदि की जानकारी भी ऑनलाइन हासिल हो जाती है वहीं रेवेन्यू बोर्ड से संबंधित प्रकरणों का स्टेटस व दैनिक वाद संबंधित सूची भी ऑनलाइन मिलने लगी है। सबसे खास है कि कॉज लिस्ट या दैनिक वाद सूची में से स्वयं के मुकदमों की जानकारी ढूंढने में अधिवक्ताओं को पहले बहुत मशक्कत करनी होती थी लेकिन अब अधिवक्ताओं को स्वयं के नाम के आधार पर मुकदमे की बेंच, तारीख व कोर्ट आदि का विवरण सहज ही प्राप्त हो जाता है।

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी / टीए / 5548 / 2016 / गंगानगर

लालूराम पुत्र भीखाराम **बनाम** **लाली पत्नी गोविन्द राम व अन्य**

अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री मोड़ूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री राजेन्द्रसिंह बराड़ वकील अपीलार्थी

श्री दिनेश कुमार सेन वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.13.6.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 46 / 2015 में पारित निर्णय दिनांक 5.7.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में एक वाद संख्या 116 / 2003 उनवानी गोविन्दराम बनाम भीखाराम प्रस्तुत किया गया जो उनके निर्णय दिनांक 23.10.2006 से खारिज कर दिया गया। इसके विरूद्ध अपील संख्या 140 / 2006 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 18.9.2007 से स्वीकार की गई। इसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 137 तस्दीक किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.9.2007 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल की माननीय खण्ड पीठ ने अपील संख्या 8827 / 2007 निर्णय दिनांक 6.1.2011 से स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.9.2007 तथा विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.10.2006 निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय में प्रकरण प्राप्त होने पर प्रार्थी वर्तमान अपीलार्थी ने धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 137 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22.4.2015 से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो भी

उनके निर्णय दिनांक 5.7.2016 से खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि कानून का स्थापित सिद्धान्त है कि जब निर्णय व डिक्री निरस्त कर दिये जाते हैं तो निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेख में किये गये इन्द्राज निरस्त कर निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल की जावेगी। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.9.2007 अपील में माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा निरस्त कर दी गई तो राजस्व अभिलेख की इस निर्णय से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना कानूनन आवश्यक है। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 18.9.2007 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 137 स्वीकार किया गया था। निर्णय दिनांक 18.9.07 निरस्त किया जा चुका है जिससे नामान्तरकरण संख्या 137 द्वारा किये गये इन्द्राज निरस्त कर इससे पूर्व की स्थिति बहाल की जाना आवश्यक है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 2012(2)(राज.) पेज 1243, आर.आर.डी. 2003 पेज 162, आर.आर. डी. 1998 पेज 569, आर.आर.डी. 2010 पेज 623 व आर.बी.जे. 2002 पेज 202 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में उनके द्वारा लिखित बहस में उठाये गये तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दिनांक 18.9.07 से पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना सम्भव नहीं है। धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधान तभी लागू होता है जब अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया जाता है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है बल्कि अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया है। धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से राजस्व अभिलेख में मृतक भीखाराम का नाम अंकित होगा जबकि मृत व्यक्ति का नाम अंकित नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी तथ्यों का उल्लेख कर विधि अनुरूप समवर्ती निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी प्रकरण में अनावश्यक देरी करना चाहता है जिससे यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में विवादित आराजीयात से संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 116/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10. 2006 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 140/2006 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.9.2007 से स्वीकार की गई है। इस निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 137 स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया है। राजस्व मण्डल में अपील किये जाने पर मण्डल की माननीय खण्ड पीठ द्वारा अपील संख्या 8827/2007 निर्णय दिनांक 6.1.2011 से आंशिक स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है।

7. प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा धारा 144 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 18.9.2007 से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति कायम किये जाने का निवेदन किया है। धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधान आवश्यक है। किसी निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेख में परिवर्तन कर दिया जाता है एवं वह निर्णय व डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में निरस्त कर दिया जाता है तो धारा 144 सी.पी.सी. के अन्तर्गत उस निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कोई युक्तियुक्त एवं समुचित कारण नहीं बताया गया है। राजस्व अभिलेख की निर्णय व डिक्री के पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने से यदि राजस्व अभिलेख में मृत व्यक्ति का नाम अंकित होता है तो उसकी आड़ में धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों को नकारा नहीं जा सकता।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यू. 2012(2)(राज.) पेज 1243 में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री को उलट दिया जाता है तो विचारण न्यायालय उस डिक्री की विधि मान्यता का परीक्षण करने की बजाय धारा 144 सी.पी.सी. के तहत पुनर्स्थापना के आवेदन को स्वीकार करने हेतु बाध्य था। आर.आर.डी. 2003 पेज 162, आर.आर.डी. 1998 पेज 569, आर.आर.डी. 2010 पेज 623 व आर.बी.जे. 2002 पेज 202 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 5.7.2016 तथा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का निर्णय दिनांक 22.4.2015 निरस्त किये जाते हैं। तदनुसार प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18.9.2007 से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति पुनर्स्थापित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी / टीए / 3228 / 2009 / जैसलमेर

राजस्थान सरकार व अन्य **बनाम** **श्रीमती सोनी पुत्री मीरण खां पत्नी हसन खां**

अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री रामसुख चौधरी उप राजकीय अभिभाषक।

श्री आर.के.गुप्ता वकील प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः.09.08.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर द्वारा अपील संख्या 15 / 2006 में पारित निर्णय दिनांक 18.7.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, जैसलमेर ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पूनासर स्थित आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 46 बीघा का खातेदार मीरण पुत्र बाबल खां बिना पासपोर्ट लिए व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना भारत छोडकर पाकिस्तान चला गया है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(8) के अन्तर्गत उक्त खातेदारी को निरस्त किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर ने बाद कार्यवाही आदेश दिनांक 11.8.1971 से उक्त आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 46 बीघा पर मीरण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर राजकीय भूमि घोषित की। इसके विरूद्ध वर्तमान प्रत्यर्थी श्रीमती सोनी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर के न्यायालय में प्रथम अपील मय प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 18.7.06 से अपील स्वीकार कर ली। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वर्तमान प्रत्यर्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में स्वयं को मीरण खां की पुत्री होने से उत्तराधिकारी होना कथित कर अपील प्रस्तुत की है। परन्तु इसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य परिवार राशन कार्ड, वोटर

लिस्ट या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के वर्तमान प्रत्यर्थी को मीरण की पुत्री होकर उत्तराधिकारी मान लिया जो गलत है। उत्तराधिकारी तय करने का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है, ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सोनी वर्तमान प्रत्यर्थी को मीरण का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मीरण बिना वैध पासपोर्ट व स्वीकृति के पाकिस्तान चला गया था एवं आज तक वापिस नहीं आया है। मीरण मय परिवार पाकिस्तान गया था। जिससे मीरण के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1)(8) के अन्तर्गत समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की इजाजत लेने हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके बिना अपील नहीं चल सकती है। प्रथम अपील लगभग 35 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है एवं देरी का समुचित कारण भी नहीं बताया गया है। गुजरात के किस बंदरगाह को गए कोई कथन नहीं है। 7–8 साल की पुत्री को दूसरे के यहां छोडना सब बनावटी कथन है। द्वितीय अपील में मामले को रंगत देने हेतु अपील पेश करने के 11 वर्ष बाद का मृत्यु प्रमाण पत्र अर्थात दिनांक 24.1.17 का रजिस्ट्रीकृत होकर मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें मृत्यु की तिथि 16.4.99 अंकित है। आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति द्वितीय अपील में पेश की है, खारिज की जावे। देरी का कोई कारण भी नहीं बताया है। प्रथम अपील गलत एवं बनावटी आधारों पर प्रस्तुत की गई है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि मीरण पाकिस्तान नहीं गया है बल्कि गुजरात बंदरगाह पर खाने कमाने चला गया था। जैसलमेर में अक्सर अकाल की स्थिति रहती थी जिससे मीरण अपनी पत्नी के साथ गुजरात बंदरगाह पर चला गया एवं वर्ष 1999 में उसकी मृत्यु हो गई। गुजरात जाने के समय प्रत्यर्थी जो कि मीरण की पुत्री है को मीरण अपनी मौसी के यहां छोड गया। मौसी ही उक्त विवादित आराजी को काश्त करती थी एवं प्रत्यर्थी सोनी के बालिग होने पर उसकी शादी करदी एवं उक्त भूमि उसे सम्भला दी तब से प्रत्यर्थी उक्त आराजी पर स्वंय काश्त करती आ रही है। मीरण का पाकिस्तान जाना साबित नहीं कराया गया है। केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है। प्रत्यर्थी सोनी मृतक खातेदार मीरण की एकमात्र पुत्री होकर उत्तराधिकारी है जिससे वह व्यथित एवं पीडित पक्षकार है एवं उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। प्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया है। आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जावे। यह लोक सेवक द्वारा जारी प्रतिलिपि की फोटोप्रति है, इसके असत्य होने का कथन इनका नहीं है तथा खण्डन स्वरूप कथन भी नहीं है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक ने 2017(1) आर.आर. टी पेज 385, 2016(4) डी.एन.जे. (राज.) पेज 1973 एवं आर.बी.जे. (24) 2017 पेज 110 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

6. प्रत्यर्थी की ओर से इस द्वितीय अपील में आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी मीरण का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, पंचायत के प्रस्ताव आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जाकर उन्हें अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त सभी दस्तावेज मात्र फोटो प्रतियां है जिन्हें साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, जैसलमेर के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर ने धारा 63(1)(8) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.12.1970 को घोषणा नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 11.2.71 को यदि कोई उजरदारी हो तो प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। यह नोटिस पंचायत नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। इस अंकन के नीचे उप सरपंच, देवीकोट खेमचन्द के हस्ताक्षर है। किसी भी व्यक्ति द्वारा उजरदारी प्रस्तुत नहीं करने पर पटवारी हल्का के बयान लेकर दिनांक 11.8.71 को उक्त आराजी को राज्य सरकार में निहित की जाने तथा मीरण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का आदेश दिया गया है। इसकी पालना हेतु तहसीलदार, जैसलमेर को पत्र दिनांक 18.8.71 को लिखा गया है।

8. उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान प्रत्यर्थी श्रीमती सोनी ने स्वयं को मीरण खां की पुत्री होना कथन करते हुए वर्ष 2011 में प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपील में अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि उसके माता दोनों अपीलार्थी को उसकी नाबालिग अवस्था में मोहम्मद खां की माता श्रीमती जियाई पत्नी ईस्माईल खां निवासी पूनासर के पास छोडकर गुजरात बन्दरगाह पर मजदूरी के लिये चले गये थे, उस समय अपीलार्थी की उम्र 7–8 वर्ष की थी।

9. प्रथम अपील की अपीलार्थी ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कुछ व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं परन्तु श्रीमती जियाई पत्नी इस्माइल खां का अथवा मोहम्मद खां का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। श्रीमती सोनी वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के पैरा संख्या 3 में आगे यह कथन किया है कि गुजरात बन्दरगाह से वापिस आज तक नहीं आये और न ही उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इसके विपरीत हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ मीरण का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार मीरण की मृत्यु दिनांक 16.4.1999 को पूनासर में हुई है एवं यह मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.1.2017 को जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी के उक्त कथन कि मीरण गुजरात चला गया था, विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। इसके समर्थन में उसकी ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. यह भी स्पष्ट है कि श्रीमती सोनी ने स्वयं को मीरण की पुत्री होना कथन किया है परन्तु इसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य परिवार राशन कार्ड, वोटर लिस्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां तक कि श्रीमती जियाई पत्नी इस्माइल खां का शपथ पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके द्वारा श्रीमती सोनी ने स्वयं का पालन पोषण किया जाना कथन किया है। ऐसी स्थिति में श्रीमती सोनी खातेदार मीरण की पुत्री होना निर्विवाद रूप से साबित नहीं होती है।

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने केवल शपथ पत्रों के आधार पर श्रीमती सोनी को खातेदार मीरण की पुत्री होना तथा मीरण का पाकिस्तान नहीं जाना साबित मान लिया जो निराधार एवं अनुचित है।

11. उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर द्वारा विवादित आराजीयात को राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश देने के 35 वर्ष तक उक्त आदेश की जानकारी श्रीमती सोनी को नहीं होना नहीं माना जा सकता। इससे यही साबित होता है कि श्रीमती सोनी खातेदार मीरण की खातेदारी विरासत में पाने की अधिकारी नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना समुचित आधार के श्रीमती सोनी को उत्तराधिकारी मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

12. प्रस्तुत प्रकरण में तर्क के लिए मीरण का कोई विधिक उत्तराधिकारी है तो भी वह प्रथमतः धारा 63(i) (viii) के प्रावधानों अनुसार आराजी को विरासत में प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके साथ ही तर्क के लिए यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 60 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखने पर भी 1971 के आदेश को प्रश्नगत कर चाराजोही 2006 में की गई है। यह अवधि दीर्घ है और ऐसे 35 वर्ष की अवधि अन्यथा भी अधिकार का क्षरण कर उसे निश्चेत कर समाप्त सम कर देती है। इस 35 वर्ष के दीर्घ अंतराल का युक्तियुक्त समुचित एवं समाधानप्रद सहजबुद्धि ग्राह्य न्यायोचित आधार प्रकट करने में श्रीमती सोनी असफल रही है।

13. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का लाभ प्रत्यर्थी को नहीं दिया जा सकता। क्योंकि वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं कराया गया है कि मीरण खातेदार गुजरात बन्दरगाह पर गया था अथवा नहीं। इसके साथ ही श्रीमती सोनी खातेदार मीरण की पुत्री होकर उत्तराधिकारी होना भी किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.7.2006 निरस्त किये जाते हैं तथा उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर का निर्णय दिनांक 11.8.1971 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य

WR

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

1. Appeal/LR/11304/2000/Dausa.

Smt. Phoola Devi daughter of late Shri Jansi and others …Appellants.

Versus

Ramesh Chand son of Shri Chhitar and others …Respondents.

2. Appeal/LR/11305/2000/Dausa.

Smt. Phoola Devi daughter of late Shri Jansi and others …Appellants.

Versus

Ramesh Chand son of Shri Chhitar and others …Respondents.

S.B.

Shri Rajinder Kumar, Member

Present:-

Shri Hemant Sogani, counsel for the appellants.

Shri Atma Ram, counsel for the respondents.

J U D G M E N T Date: 19.02.2019

1. These second appeals have arisen out of the common judgment dated 22.5.2000 of the learned Additional Divisional Commissioner, Jaipur dismissing the first appeals No. 17/98 and 18/98 filed by the appellants and confirming the orders dated 2.4.1998 and 16.5.1998 of the learned Tehsildar, Tehsil Lalsot Distt. Dausa. By the said order dated 2.4.1998 the learned Tehsildar has ordered to sanction mutation of the disputed lands in favour of the respondent No.1 and vide order dated 16.5.1998, the mutation was sanctioned accordingly.

2. Facts of the case mentioned in the memo of appeals are that the disputed lands situated in village Khatwa, Tehsil Lalsot were the khatedari lands of the deceased Jansi son of Narayan Mali. After his death on 21.1.1998, an application was filed by one of his daughters, namely, Smt. Kamli, the respondent No. 2 in the court of Tehsildar, Lalsot. It was mentioned in the

said application that the decased Jansi had no biological son, therefore, he adopted the respondent No. 1 in his lifetime and also executed a 'will' of his lands in favour of the respondent No.1. Therefore, a prayer was made to sanction mutation of the lands of the deceased in favour of the respondent No. 1. The appellants were also made party to the said application. However, the learned Tehsildar without issuing any notice to the appellants proceeded ex-parte against them and vide impugned orders sanctioned the mutation in favour of the respondent No.1 in the manner indicated above. Aggrieved against the said orders, the appellants unsuccessfully filed separate appeals in the court of learned Additional Divisional Commissioner, Jaipur. Hence these second appeals.

3. I have heard the learned counsels.

4. On behalf of the appellants, it was urged that in her application dated 10.3.1998, the respondent No. 2 has specifically stated that the appellants reside in their matrimonial homes in villages Deewan Ki Kothi and Toontyawali Dhani. But the learned Tehsildar sent notices of the appellants at their parental address, meaning thereby that appellants were not heard before sanctioning the mutations in favour of the respondent No.1. The learned counsel also submitted that the respondent No. 1 is not the adopted son of the decased Jansi. On 14.1.1998, no will was executed by the deceased in favour of the respondent No.1, as alleged by him. Therefore, the learned Tehsildar committed material illegalities in sanctioning the mutation in favour of the respondent No.1. Therefore, a prayer was made to accept the appeals and set aside the impugned judgment/ orders of the courts below.

5. Learned counsel for the respondents vehemently opposed the above submissions. He submitted that the impugned orders/ judgment of the courts below have been passed after considering all the factual and legal aspects of the case. The concurrent findings of the courts below are neither perverse nor illegal. Therefore, the same are not required to be interferred with. The appellants herein had full knowledge of the mutation proceedings and still they did not make any objection thereto. The respondent No. 1 was adopted by the deceased Jansi in his lifetime. The later had also executed a will of his lands in favour of the respondent No.1. All the procedural formalities were duly complied with by the

learned Tehsildar before sanctioning the disputed mutation in favour of the respondent No.1. The learned first appellate court has endorsed the findingds of the learned Tehsildar in this regard. All the factual and legal points raised on behalf of the appellants were duly considered by the court below. The appellants are not in possession of the disputed lands. It is the respondent No. 1 alone who is occupying the same as its recorded khatedar. Therefore, a prayer was made to dismiss the appeals.

6. I have given my thoughtful consideration to the rival submissions and perused the record carefully.

7. The record reveals that on the death of the khatedar Jansi, the mutation proceedings were initiated at the instance of one of his daughters, namely, Smt. Kamli who is respondent No. 2 in these appeals. The respondent No. 1 Ramesh Chand and both the appellants were also arraigned as parties to that application. In the said application, a prayer was made to sanction the mutation in favour of the respondent No. 1 on the premise that he is adopted son of the decased and a will was also executed by the deceased in favour of the respondent No. 1. The order passed by the learned Tehsildar does not speak that any notice was issued to the appellants before sanctioning the disputed mutation. However, there is a categorical finding of the learned first appellate court in this regard that in the mutation procdeedings, no notice was issued to the appellants. The said finding of the learend first appellate court remains unchallenged. Therefore, there can be no denial of the fact that two of the real daughters of the deceased khatedar remained unheard in the said proceedings. The procedural fairness demands that the decision maker must provide adequate opportunities to the affected parties to present their case and respond to the evidence and arguments advanced by the other party. This requirement is the outcome of the principle of 'Audi Alteram Partem'. The other face of the coin is that this requirement would fulfill the criteria that the decision maker is independent and unbiased. In this case, the principle of 'audi alteram partem' was ignored.

8. Although mutation of land in the revenue record does not create/ extinguish title nor has it any presumption of truth yet it is the backbone of the record of rights. Therefore, the law casts a duty on the officer sanctioning mutation to hear the effected parties before passing any

effective order in that regard. But the manner in which the mutation proceedings are conducted leave a much to be desired. A large number of revenue, civil and criminal litigation could be avoided and a lot of litigation expenses of the poor agriculturists could be saved, if the mutation proceedings are ordinarily conducted by the revenue officials strictly in accordance with law. This case is one of the example in which the mutation proceedings have been sanctioned without following the due process of law. In the instant case the parties are involved in litigation for almost a decade only due to the lapse of the concerned Tehsildar for not hearing the appellants at the relevant time. Not only this, when the learned Additional Divisional Commissioner, Jaipur returned a categoric finding at page 4 of his judgment that the appellants have not been given opportunity of hearing by the Tehsildar, it was his duty to immediately remit the matters to his subordinate to pass the judgment in accordance with law. However, the learned first appellate court even after noticing the procedural lacunae, endorsed the findings of the Tehsildar on merits in an illegal manner. The said procedural lacuna left by the Tehsildar was not of the formal nature. On the contrary, it went to the root of the matter, thereby, vitiating the entire mutation proceedings. An order passed in the back of the appellants, who were the real daughters of the deceased khatedar and party to the mutation application, is no order in the eyes of law. In such circumstances, I am left with no other option except to allow these appeals.

9. Resultantly, the appeals in hand are allowed. The impugned judgment dated 2.4.1998 and the order dated 16.05.1998 of the learned Tehsildar and the impugned judgment dated 22.5.2000 of the learned Additional Divisional Commissioner, Jaipur are set aside. The matter is remitted back to the Tehsildar for passing the order afresh after giving opportunity of hearing to all the concerned parties in accordance with law. The said proceedings shall be concluded by the Tehsildar on or before 31st May 2019. It is made clear that nothing stated hereinabove shall be deemed to be an expression on the merits of the controversy.

Pronounced.

(Rajinder Kumar)

Member

W.R.

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

1. Appeal Decree/TA/5937/2004/Dausa

Gulla son of Ramu (deceased) and others Appellants

Versus

Gordhan son of Jailya (deceased) and others ...Respondents.

2. Appeal Decree/TA/5507/2006/Dausa

Gulla son of Ramu (deceased) and others Appellants

Versus

Gordhan son of Jailya (deceased) and others ...Respondents.

D.B.

Shri Mukesh Kumar Sharma, Chairman

Shri Rajinder Kumar, Member

Present :-

1. Shri Samir Ahmed Counsel for the appellants.
2. Shri Ajit Singh Rathore and Shri Anil Sharma, Counsels for the respondents.

JUDGMENT Dated: 07-02-2019

Per Shri Rajinder Kumar, Member

1. These 2 second appeals have been preferred against the common judgment and decree dated 30.10.2004 passed by the learned Revenue Appellate Authority, Jaipur camp- Dausa, whereby the learned first appellate court accepted the appeal no.94/2001 filed by the plaintiff/respondent no.1 and dismissed the appeal no.77/2004 filed by the defendants/appellants.

2. Facts of the case in nutshell are that the plaintiff/respondent no.1 Gordhan filed a suit in the trial court of Sub Divisional Officer, Dausa seeking the relief of declaration of the khatedari rights in respect of the suit lands. The defendants/appellants initially contested the suit by filing written statement. On the basis of the pleadings, the learned trial court framed as many as eight issues. On 13.11.1998, the examination-in-chief of the plaintiff Gordhan was recorded by the trial court and the cross-examination was deferred on the request of the defendants/appellants. Thereafter, the defendants/appellants did not appear in the trial court and exparte proceedings were initiated against them. On a later date, the defendants/appellants submitted an application for setting aside the exparte proceedings. However, that application was dismissed by the trial court on 4.7.2000 and the said order was confirmed upto the level of the Revenue Board. The trial court, thereafter, examined two more witnesses of the plaintiff and partly decreed the plaintiff's suit vide judgment dated 27.02.2001. Though the relief was claimed by the plaintiff in respect of the total 15 bigha 2 biswa land whereas the suit filed by him was decreed to the extent of 1/3rd share in the land of khasra no.960. Feeling aggrieved, the plaintiff/respondent filed appeal no.94/01 in the first appellate court and after a period of almost four years, appeal no.77/04 was filed by the defendants/appellants in the said court. By common judgment and decree impugned herein, the learned trial court accepted the appeal of the plaintiff/respondent no. 1 and decreed the suit in its entirety and dismissed the appeal of the defendants/appellants. Hence, these two appeals have been preferred by the defendants/appellants.

3. We have heard the learned counsels.

4. On behalf of the defendants/appellants the judgment and decree of the courts below was attacked on merits also. But the main thrust of the arguments of the learned counsel was that the same do not conform to the legal provisions contained in Order XX Rule 5 and O. XLI Rule 31 C.P.C. respectively. It was argued that the learned trial court has decided only issue no.3 and the other issues have been left undecided. Even if the defendants/appellants remained exparte, it was the duty of the trial court to deal with all the issues and give its findings as each of them. The

learned first appellate court also did not decide the appeal as per the mandatory provisions contained in Order 41 Rule 31 CPC. Therefore, a prayer was made to accept the appeal, set aside the impugned judgments and remand the matter to the trial court for fresh adjudication in accordance with law.

5. Learned counsel for the plaintiffs/respondents vehemently opposed the aforesaid submissions. It was argued that there is no infirmity in the judgments and decree of the learned first appellate court. The court below has rightly decreed the plaintiffs/respondents suit. All the legal and factual aspects were considered by the court in passing the impugned judgment. The reasoning of the first appellate court is neither perverse nor illegal. Therefore, a prayer was made to dismiss the appeals.

6. We have given our thoughtful consideration to the rival submissions and perused the records carefully.

7. The questions of law involved herein are:-

(i) Whether the learned trial court committed illegality in passing the judgment without giving finding on all the issues and thus the judgment and decree of the trial court is in contravention of the provisions contained in Order XX Rule 5 CPC.

(ii) Whether the learned first appellate court also did not formulate the questions for determination of the appeal and thus, passed its judgment without adhering to the mandatory provisions contained in Order XLI Rule 31 CPC.

8. It is noticeable that the trial court framed 8 issues on the basis of pleadings of two parties whereas it passed the judgment on issue no.3 only and the remaining issues were not decided by it. Apart from denying the plaint averments on merits, the defendants/appellants had contested the suit by stating that the same is not within limitation and the trial court has no jurisdiction to decide the same. The trial court's judgment runs into five hand written pages. In the first four pages, the pleadings of the parties and the arguments of the learned counsel for the plaintiff/respondent have been stated. In the last and fifth page, the learned trial court after mentioning the gist of the statement of the witnesses and the documents

has stated that the issue no. 3 stands partly proved. In the whole judgment, it is not stated by the trial court that the issues were framed by it, what to talk of mentioning the issues in the judgment and giving issuewise findings thereupon.

9. To our mind, Order XX Rule CPC clearly stipulates that the court must return finding on each issue. It is opposite here to quote the said provision,of Order XX Rule 5 CPC :-

"5. Court to state its decision as each issue:-

In suits in which issues have been framed, the court shall state its finding or decision, with the reasons therefore, upon each separate issue, unless the findings upon any one or more of issues is sufficient for the decision of the suit."

Therefore, it was mandatory for the trial court to pass issue-wise judgment. It was not a case which could have been disposed of an issue no.3 alone. The remaining seven issues, including the issue about jurisdiction of court and the issue pertaining to limitation were equally important, which were not decided by the trial court. Mere fact that the defendants/appellants were proceeded exparte does not mean that the issues of limitation and jurisdiction stood waived off. Such legal issues must be decided by the court, notwithstanding the fact that the suit is contested one or exparte.

10. In AIR 1985 SC 736 'M/s Fomento R. & H. Ltd. Vs Gustavo Ranato da Cruz Pinto,' it was held that:-

" In a matter of this nature where several contentions factual and leagal are urged and when there is scope of appeal from the decision of the Courts, it is desirable as was observed by the Privy Council long time ago to avoid delay and protraction of litigation that the court should , when dealing with any matter dispose of all the points and not merely rest its decision on one single point."

In view of the above, the judgment and decree passed by the trial court partly decreeing the plaintiff/respondents suit is unsustainable.

11. As regards the judgment and decree passed by the first appellate court,

the same too has been passed against the spirit of the provisions of Order XLI Rule 31 CPC. The said provisions is as under :-

"31. Contents, date and signature of judgment.

The judgment of the appellate court shall be in writing and shall state –

a) The points for determination

b) The decision-thereon

c) Where the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled.

and shall, at the time it is pronounced, be signed and dated by the Judge or by the Judges concurring therein."

The requirements of the above provisions have been totally ignored by the first appellate court whilke writing the impugned judgment. The court below infact did not frame the points for determination of the appeal. Had it been done so, the court below might have come to know that the issues of limitation and jurisdiction have been left undecided by the trial court.

13. In B.V.Nagesh and anr. Vs. H.V.Sreenivasa Murthy (2010) SCC 530, while dealing with this issue, the Hon'ble Supreme Court has held thus:-

"3) The impugned judgment passed by the High Court arose out of regular first appeal filed under Section 96 CPC. It is the grievance of the appellants that the High Court, without adverting to all the factual details and various grounds raised, disposed of the appeal in a cryptic manner. In the light of the above assertion, we verified the impugned judgment of the High Court. The High Court, after narrating the pleadings of both parties, without framing points for determination and considering both facts and law set aside the judgment and decree of the trial Court and modified the same without proper discussion and assigning adequate reasons.

4) How regular first appeal is to be disposed of by the appellate Court/High Court has been considered by this Court in various decisions. Order XLI of C.P.C. deals with appeals from original decrees. Among the various rules, Rule 31 mandates that the judgment of the appellate Court shall state:

a) the points for determination;

b) the decision thereon;

c) reasons for the decision; and -

d) where the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled.

The appellate Court has jurisdiction to reverse or affirm the findings of the trial Court. The first appeal is a valuable right of the parties and unless restricted by law, the whole case therein is open for re-hearing both on questions of fact and law. The judgment of the appellate Court must, therefore, reflect its conscious application of mind and record findings supported by reasons, on all the issues arising along with the contentions put-forth and pressed by the parties for decision of the appellate Court. Sitting as a court of appeal, it was the duty of the High Court to deal with all the issues and the evidence led by the parties before recording its findings. The first appeal is a valuable right and the parties have a right to be heard both on questions of law and on facts and the judgment in the first appeal must address itself to all the issues of law and fact and decide it by giving reasons in support of the findings. [Vide Santosh Hazari vs. Purushottam Tiwari, (2001) 3 SCC 179 = JT (2001) 2 SC 407 and Madhukar and Others vs. Sangram and Others, (2001) 4 SCC 756]

5) In view of the above salutary principles, on going through the impugned judgment, we feel that the High Court has failed to discharge the obligation placed on it as a first appellate Court. In our view, the judgment under appeal is cryptic and none of the relevant aspects have even been noticed. The appeal has been decided in an unsatisfactory manner. Our careful perusal of the judgment in the regular first appeal shows that it falls short of considerations which are expected from the Court of first appeal. Accordingly, without going into the merits of the claim of both parties, we set aside the impugned judgment and decree of the High Court and remand the regular first appeal to the High Court for its fresh disposal in accordance with law."

The above view has been reiterated by the Hon'ble Supreme Court in 2015(1) SCC 391 'Vinod Kumar Vs. Gangadhar'. In the instant case, the learned first appellate court has passed the judgment ignoring the salutary

provisions of Order 41 Rule 31 CPC. Therefore, the judgment of the first appellate court is also not sustainable. The questions of law framed above are answered in favour of the defendants/appellants.

14. In the result, these appeals succeed and the judgments and decree of the courts below are set aside and the suit is remitted to the trial court with a direction to register it at its original number, to hear the parties, to examine the record and thereafter, to deliver the judgment in accordance with law. It is made clear that no further evidence will be adduced by the parties as it is a case of 'limited remand'. The trial court is directed to decide the suit at the earliest and not later than a period of six months from today. The parties are directed to appear in the trial court on 13.03.2019.

Pronounced.

(Rajinder Kumar) **(Mukesh Kumar Sharma)**

Member **Chairman**

W.R.

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Appeal/TA/1418/2005/Churu

Mst. Hazra widow of Abdul Razak and others .....Appellants

Versus

M/s Amarkal Vyapar Pvt. Ltd., and others ...Respondents

Appeal/TA/1419/2005/Churu

Mst. Hazra widow of Abdul Razak and others .....Appellants

Versus

M/s Amarkal Vyapar Pvt. Ltd., and others ...Respondents

D.B.

Shri Mukesh Kumar Sharma, Chairman

Shri Rajinder Kumar, Member

Argued by:-

Shri Dunichand Counsel for the appellants

Shri Yogendra Singh & Shri Rajesh Gautam, counsels for the respondents.

*****

J U D G M E N T Dated : 6-2-2019

Per Shri Rajinder Kumar, Member

1. In nutshell, facts of the case are that three revenue suits came to be filed in the court of Sub Divisional Officer, Churu. The first suit bearing no.99/95 was filed by Mst. Hajra, Md. Salim, Ayub, Vaasid, Imran and Mohammad Yamin against Gulam Kadar (since deceased), Kishan Kumar and Jakir Hussain. The second suit bearing no.123/96 was filed by the same set of plaintiffs against M/s Amar Kal Vyapar Pvt.Ltd. through Director Krishan Kumar, Md. Yasin and Hafiz Ahmed Ali. The third suit was filed by the plaintiffs, namely, Hafiz Ahmed Ali and Mohammad Yasin against the contesting defendant M/s. Amarkal Vyapar Pvt. Ltd. and pro-forma defendants, namely, Mst. Hajra, Md. Salim, Ayub, Vajid, Imran and Md. Aami. The land in dispute and the reliefs claimed in all the three suits were the same, therefore, the leaned trial court consolidated these suits in

suit no. 99/95 and after recording the evidence of the parties, the suits were decreed vide its common judgment dated 4.9.2004. Assailing the said judgment and decree, two appeals were filed in the court of the learned Revenue Appellate Authority, Bikaner. The first appeal no. 57/2004 was filed by M/s Amarkal Vyapar Pvt. Ltd. against all the plaintiffs. The second appeal no. 63/2004 was filed by the contesting defendants Bismillah, Liyakat Ali, Sikander, Farookh and Jahangir against all the plaintiffs. The learned first appellate court vide common judgment and decree dated 17.1.2005 accepted the appeals setting aside the judgment and decree of the trial court and remanded the matter to the trial court for denovo trial after impleading all the khatedars of the suit land as party defendants to the suits. Feeling aggrieved against the said judgments and decrees of the first appellate court, the plaintiffs have preferred these separate appeals.

2. We have heard the learned counsels.

3. On behalf of the plaintiffs/appellants, it was argued that the three suits were filed in the trial court by the plaintiffs/appellants. A counter-claim was also filed by the defendant Krishan Kumar against the plaintiffs. Therefore, the defendants ought to have filed four separate appeals in the court of the Revenue Appellate Authority whereas they filed only two appeals. In this way, the first appeals filed by the defendants/respondents against the judgment and decree of the trial court were barred by 'res-judicata'. Learned counsel further argued that the trial court had passed a well considered judgment and the learned first appellate court illegally remanded the matter to the trial court. The matter was not covered by any of the provisions of Order 41 C.P.C. justifying the remand of the case. Therefore, a prayer was made to accept these appeals and set aside the impugned judgments & decrees passed by the first appellate court. In support of his arguments, the learned counsel relied upon the following citations:-

   i). Premier Tyre Vs. Kerala State Road Transport Corporation (AIR 1993 SC)

   ii). Girija & ors Vs Rajan and ors (RSA no. 14 of 2015 decided on 28.01.2015)

   iii). Lonankutty Vs Thomman (AIR 1976 SC 1645)

4. Learned counsels for the defendants/respondents vehemently opposed the above submissions. Both the learned counsels supported the impugned judgment & decree passed by the first appellate court in their appeals. It was argued by them that only one appeal at the instance of the each set of defendants was maintainable because common judgment and decree was passed by the learned trial court after consolidated all the three suits. The learned counsels also submitted that the judgment and decree of the trial court was exfacie illegal, as the same was passed without impleading all the khatedars as party defendants to the suits. The learned trial court had decided only one suit and no judgment and decree was passed on the remaining two suits and the counter-claim of the defendant. The judgment passed by the trial court was non-speaking and the evidence produced by the defendants/respondents was mis-interpreted. There were apparent contradictions in the judgment of the trial court. Therefore, the learned first appellate court did not commit any illegality in remanding the suits to the trial court for fresh adjudication after impleading all the affected parties as defendants. In support of their arguments that only one appeal against the common judgment was maintainable, the learned counsels relied upon a judgment passed by this Board in 1986 RRD 660 'Chuni Lal Vs Bheru Lal'. It was held in that case that once the court has ordered consolidation, there is amalgamation of two suits in one suit from the date of order of consolidation and they are to be decided as if they were one suit. It was also held that in consolidated suits, there is common judgment and common decree and there is no question of any former suit or decree which can operate as 'res-judicata' in subsequent suit.

5. We have given our thoughtful consideration to the above submissions and perused the record carefully.

6. The question of law involved in these appeals is whether the defendants/respondents were bound to file four separate appeals in the court of learned Revenue Appellate Authority, Bikaner against the common judgment and decree passed by the trial court in the suits of the plaintiffs and counter-claim of the defendants/respondents or whether only two appeals filed by them were competent?

7. A cursory look at Order VIII Rule 6 of the Code of Civil Procedure, 1908 would reveal that a counter-claim is a cross-suit with all the trappings of a

separate suit. In Premier Tyres Ltd Vs Kerala State Road Transport Corporation (AIR 1993 SC 1202), the Hon'ble Supreme Court has held as under:-

"Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree…… Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non-filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit."

8. The question as to the impact of the principle of res-judicata in a case wherein the suit is resisted by a defendant not only by denying the plaintiff's claim, but by raising a counter-claim, was examined by Hon'ble Kerala High Court in Girija & ors Vs. Rajan & ors (R.S.A. No. 14 of 2015 decided on 28.01.2015) and after discussing a catena of decisions on the subject, it was observed as under:-

"From the above discussion, it is discernible that the law stated in Order 8 Rule 6A C.P.C. makes it abundantly clear that the counter claim in a suit will have all the characteristics of a cross suit including the vulnerability of suffering the bar of res-judicata enshrined in section 11 C.P.C., if not properly challenged."

Thereafter, the Hon'ble High Court held as under:-

"Therefore, I find that the question of law arising in this case can only be decided against the appellants, finding that if a defendant who raised a counter claim in a suit, fails both in the suit and in the counter claim, will have to file separate appeals challenging the decree in the suit and the counter claim. Since the appellants in this case failed to do so before the lower appellate court, I am of the view that the first appeal itself was barred by res-judicata."

9. It is trite that consolidation of suits is done to avoid multiplicity of proceedings and to eliminate chances of conflicting decisions on the same points and to avoid unnecessary costs and expenses. Therefore, the consolidation of suits for trial merely enables the court to record evidence in one suit only, which is required to be read in the other suits as well. Inspite of the consolidated trial having taken place, the consolidated suits nevertheless remain separate and distinct from each other. They may be

disposed of by the trial court by common judgment or separate judgments on the same evidence. Having so stated the legal propositions, we may now advert to the facts of the present appeals. Here also the plaintiffs/appellants preferred three separate suits and a counter-claim was also filed by the contesting defendants/respondents. All these matters were decided by the trial court vide common judgment after their consolidation. Therefore, the contesting defendants/respondents ought to have filed four separate appeals. Having failed to do so, only two appeals filed by them before the first appellate court were barred by the principle of res-judicata. In this regard, reliance is placed on a Larger Bench Judgment of the Hon'ble Supreme Court in 'Lonankutty Vs Thomman' reported as AIR 1976 S.C. 1645. In that case, the Hon'ble Supreme Court held that the circumstance that the court has disposed of the matters by common judgment cannot effect the applicability of Section 11 of the Civil Procedure Code, 1908.

10. It is also pertinent to observe that in all the three suits, common relief of permanent injunction was sought by all the plaintiffs in respect of the same suit land against the contesting defendants. Therefore, a common judgment and decree was passed by the trial court in favour of the plaintiffs. Although the learned trial court did not specifically passed the order of dismissal of counter-claim but the same could be inferred by necessary implication. A perusal of Explanation V to Section 11 of the CPC is very clear on the point, according to which any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall for the purpose of this section, be deemed have been refused. As the principle of 'res-judicata' is applicable in such proceedings, where only one appeal is filed against the common judgment passed in more than one suits, therefore, also the Explanation V of section 11 would get attracted in the present matter. It is in these circumstances also that the contesting defendants ought to have preferred four separate appeals, if they were really aggrieved by the judgment and decree of the trial court. In view of the above discussion, material illegality was committed by the learned first appellate court in accepting the appeals and remanding the matter to the trial court for fresh adjudication. These appeals, therefore, deserve to be accepted.

11. Resultantly, the second appeals filed by the plaintiffs/appellants are accepted. The impugned judgments and decrees dated 17.01.2005 of the first appellate court are set aside and the judgment and decree dated 4.09.2004 of the trial court are restored.

Pronounced.

(Rajinder Kumar) **(Mukesh Kumar Sharma)**

Member **Chairman**

W.R.

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

1. APPEAL/ CEILING /2009/3929/JAISALMER.

Smt. Kamla w/o Madanlal and others ... Appellants.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others .... Respondents.

Argued by :

Shri P.S. Dashora, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondents.

2. APPEAL/ CEILING /2009/3342/JAISALMER.

Rehamtulla s/o Aamdin ... Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others .... Respondents.

Argued by :

Shri Sameer Ahmed, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

3. APPEAL/ CEILING /2009/3344/JAISALMER.

Jamalo w/o Shafi Mohammad ... Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others .... Respondents.

Argued by :

Shri Sameer Ahmed, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

4. APPEAL/ CEILING /2009/3348/JAISALMER.

Salemohammad s/o Shri Kamardin ... Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others .... Respondents.

Argued by :

Shri Sameer Ahmed, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

5. APPEAL/ CEILING /2009/3349/JAISALMER.

Khalif Mohammad s/o Sh. Kamaal Khan ... Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others .... Respondents.

Argued by :

Shri Sameer Ahmed, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

6. APPEAL/ CEILING /2009/3865/JAISALMER.

Smt. Huro w/o Nasib Khan ... Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others .... Respondents.

Argued by :

Shri P.S. Dashora, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

7. APPEAL/ CEILING /2009/3876/JAISALMER.

Abdul Jabbar s/o Inayat Khan ... Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others .... Respondents.

Argued by :

Shri P.S. Dashora, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

8. APPEAL/ CEILING /2009/3877/JAISALMER.

Smt. Anchi w/o Bhanwru Ram ... Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others .... Respondents.

Argued by :

Shri P.S. Dashora, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

9. APPEAL/ CEILING /2009/3878/JAISALMER.

Ilamddin s/o Deene Khan … Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others …. Respondents.

Argued by :

Shri P.S. Dashora, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

10. APPEAL/ CEILING /2009/3927/JAISALMER.

Gani Khan s/o Barkat Khan … Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others …. Respondents.

Argued by :

Shri P.S. Dashora, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

11. APPEAL/ CEILING /2009/3928/JAISALMER.

Sarafdin s/o Rahamtulla … Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others …. Respondents.

Argued by :

Shri P.S. Dashora, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

12. APPEAL/ CEILING /2009/3932/JAISALMER.

Abdul Ajeej s/o Safi Mohammad … Appellant.

Versus

State of Rajasthan through Tehsildar, Pokhran and others …. Respondents.

Argued by :

Shri P.S. Dashora, counsel for the Appellant.

Shri Lokendra Singh, Deputy Govt. Advocate for the respondent.

S.B.

Shri Rajinder Kumar, Member

JUDGMENT Dated: 14-02-2019

1. It is a bunch of twelve appeals preferred by the different allottees of the agricultural lands situate in Village Pokhran, District Jaisalmer against the judgment dated 27.02.2009 passed by the District Collector Jaisalmer. By the impugned judgment, the allotment of lands made in favor of the appellants was cancelled in pursuance to the provisions of Rule 17 (4) of the Rajasthan Imposition of Ceiling Agricultural Holdings Rules, 1973 [hereinafter referred to as the Rules of 1973]. Looking to the fact that the said allotments were made in the year 1986 and pursuant thereto, possession of the lands was delivered to the appellants and they are also residing in the houses constructed thereupon, the learned District Collector remitted the matter to the Sub-Divisional Officer, Pokhran for inviting the applications for allotment of the disputed land afresh and to decide the same as per law after assessing the eligibility of the applicants and taking into consideration the opinion of the Land Advisory Committee.

2. Facts leading to the filing of these appeals are that the Sub-Divisional Officer after taking into account the recommendations of the Land Advisory Committee allotted the lands in dispute in favor of the appellants. However, on 4 April 1987 the District Collector Jaisalmer suo moto initiated proceedings for cancellation of the said lands by invoking the provisions contained in Rule 14 (4) of the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 [hereinafter referred to as the Rules of 1970]. After hearing the parties, the learned District Collector, Jaisalmer cancelled the order of allotment of lands on the grounds, inter-alia, that under the Rules of 1970, a declaration of the land available for allotment was not made and that the order of allotment was not passed in the presence of the Pradhan and Vikas Adhikari. The appeals preferred by the appellants before the learned Revenue Appellate Authority, (IInd) Jodhpur were accepted on the ground that in the instant matter the provisions of Rule 14 (4) of the Rules of 1970 are not attracted. The learned appellate court at the same time also observed that if the Collector, Jaisalmer initiates fresh proceedings for cancellation of the allotment orders under Rule 17(4) of the Rules of 1973, the said judgment shall not come in the way of the said proceedings. The remand order passed by the learned Revenue Appellate Authroity, (IInd) Jodhpur was not challenged by any of the parties and thus, the same became final.

Thereafter, the learned District Collector, Jaisalmer initiated fresh proceedings under Rule 17 (4) of the Rules of 1973 for cancellation allotment orders made in favor of the appellants. After giving an opportunity of hearing to the parties, the learned District Collector again cancelled the allotment orders in question. The said judgment was challenged by the appellants by filing separate writ petitions before the Hon'ble Rajasthan High Court. By judgment dated 20.11.1991, the Hon'ble Rajasthan High Court accepted the writ petitions and set aside the judgment of the Collector, Jaisalmer and remitted the matter back to him for deciding the case afresh in accordance with law on the basis of the evidence already on record as well as on the basis of observations made in the main judgment passed in Writ Petition no. 4040 of 1988. The learned District Collector after remand of the matter heard the parties and again cancelled the allotment order of the appellants. Feeling aggrieved, the appellants preferred appeals in the Board and vide judgment dated 11-02-2008 passed in main Appeal no. 928/2006, this Board remanded the matter to the District Collector, Jaisalmer for passing the judgment afresh as per observations/directions of the Hon'ble Rajasthan High Court in judgment dated 20-11-1991. The learned District Collector again heard the parties and vide the judgment impugned herein cancelled the allotment order in the manner indicated above. Hence these appeals by the allottees.

3. I have heard the learned counsels.

4. On behalf of the appellants, it was vehemently argued that the directions passed by the Hon'ble Rajasthan High Court in judgment dated 20-11-1991 have not been followed by the District Collector, Jaisalmer and thus, the matters require to be sent back to the trial court for fresh adjudication. Learned counsels further argued that the judgment passed by the court below is no judgment in the eyes of law as the same is based on assumptions only. The court below failed to appreciate the fact that before making allotment of lands, the proclamation was properly issued and only thereafter, a meeting of the Land Allotment Advisory Committee was convened on 3.07.1986. On that day, the lands were allotted by the competent Authority to 37 landless persons on the recommendations of the said committee. These 37 persons also include certain persons of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe category. In the like manner, lands were allotted to 130 landless persons on 4.07.1986 after issuing due proclamation. These facts have been found proved by the Hon'ble Rajasthan High Court in judgment dated 20.11.1991. Therefore, the court below committed illegality in observing that the

proclamation was not issued in these matters. The court below further committed illegality in giving a finding the minimum number of members of the committee to conduct the said proceedings were not present. Infact, only two members are sufficient to complete the quorum as per the Rules of 1973 and in this case, the said number of members were admittedly present at the relevant time. The court below, therefore, illegally held that the quorum was not complete. The court below in this regard wrongly applied the provisions contained in Rules 13, 13 (2) and 13 (3) of the Rules of 1970. It was also argued that the appellants are the residents of the Village adjoining the Village Pokhran. Therefore, the allotment made in favor of the appellant was in accordance with Rule 17 (3)(A) of the Rules of 1973. In addition to it, the allotments of lands made in favor of the allottees on 3.07.1986 have been held to be as per law whereas the allotments made on 4.07.1986 have only been cancelled. If the allotments made on 3.07.1986 on the recommendations of two members were as per law, then how the allotments made on 4.07.1986 on the recommendation of the same number of the members can be vitiated by law. The learned court below also wrongly applied the Notification dated 13.03.1981 in the instant case because the present matters are not covered by the Rules of 1970. The learned counsels also argued that it would be a travesty of justice, if the allotments made in the year 1986 are set aside after a period of more than 3 decades. Therefore, prayer was made to accept the appeals and to set aside the impugned judgment cancelling the land allotments. In support of their submissions, the learned counsels relied upon the following citations:-

1) AIR 1994 S.C. 1128 'Brij Lal Vs Board of Revenue' :- In that case, it was held by the Hon'ble Supreme Court that allottee cannot be dispossessed when he was cultivating the land for over a period of two decades.

2) 2008 (1) RRT 598 'Shiv Narayan Vs State' :- In that case, it was held that allotment of land cannot be cancelled, if the allotment authority commits any procedural mistake in the allotment proceedings.

3) 2011 (18) RBJ 418 'Laxminarayan Vs State Government' :- In that case, it was held by the Revenue Board that allotment cannot be cancelled on the basis of presumptions and technicalities.

5. Learned Deputy Government Advocate vehemently opposed the above submissions. He argued that the appeals against the impugned judgment of the District Collector are not maintainable in this Board. He supported the judgment passed by the District Collector, Jaisalmer. According to

him, the learned trial court has passed its judgment taking into account all the factual and legal aspects of the case and in compliance of the observations of the Hon'ble Rajasthan High Court in judgment dated 20.11.1991. He further canvassed that looking to the factum of the possession of the appellants over the disputed lands, the appellate court has not left the appellants remediless. On the contrary, a direction has been given to the Sub-Divisional Officer to invite the applications afresh regarding the allotment of the disputed lands and a liberty has been given to the appellants to participate in the said proceedings. Therefore, there is no illegality in the impugned judgment which has been passed in accordance with the Rules. He further canvassed that it would be a travesty of justice if the allotment orders are maintained because the same were procured without following due process and without the issuance of proclamation and without the recommendations of a properly constituted Committee. It was also canvassed that the appellant do not belong to the Village Pokhran, therefore, they were not entitled for the allotment of the lands in question. A prayer was made to dismiss the appeals.

6. I have given my anxious consideration to the above submissions and perused the records carefully.

7. In 1998 RRD 636 'Ram Narayan Vs State of Rajasthan & ors', it was held by the Hon'ble Rajasthan High Court that appeal against the order of Collector passed under Rule 17(4) of the Rules of 1973 is maintainable in the Board of Revenue. Therefore, the contention advanced on behalf of the learned Deputy Government Advocate regarding non maintainability of these appeals is rejected.

8. In the S.B. Civil Writ Petition no. 4040/1988, the Hon'ble Rajasthan High Court specifically held that there is no evidence that the allotment was procured by playing fraud or making misrepresentation. Therefore, the Collector could not assume that the allotment in question was procured by fraud or misrepresentation. The Hon'ble Rajasthan High Court further held that the finding of the Collector that the petitioner could not establish himself to the landless person and that he was not resident of Village where the land is situated are also based on surmises. The Hon'ble Rajasthan High Court also observed that District Collector has not referred to any piece of evidence which he got on record in justification of cancellation of order. In my considered opinion, on the basis of these specific observations of the Hon'ble Rajasthan High Court, the District Collector, Jaisalmer was not expected to embark upon an

enquiry on these aspects and to give finding contrary to the finding of the Hon'ble Rajasthan High Court. Therefore, the findings of the District Collector, Jaisalmer in this regard cannot be endorsed.

9. The Hon'ble Rajasthan High Court in Civil Writ Petition remanded the matter for denovo enquiry as per the observations given in judgment dated 20.11.1991. The only ground on which the enquiry ought to have been conducted by the learned District Collector was whether there has been non compliance of the procedure laid down in the Rules of 1973. The learned District Collector in this regard ought to have given specific finding whether there has been non compliance of the mandatory provisions or of the formal provisions of the relevant rules. However, the learned District Collector in the impugned judgment again laid emphasis on the Rules of 1970. The learned District Collector also did not appreciate this fact that if proclamation was not issued, then how as many as 167 persons assembled in the public meeting convened on 3.07.1986 and 4.07.1986. The learned District Collector also returned a finding that the quorum of the Members of the Committee was not complete at the relevant time. Although it is provided under Rule 4 A of the Rules of 1973 that the quorum to constitute a meeting of the Committee shall be three members. But the proviso to this rule relaxes the condition of presence of three members by saying that until a notification is issued under sub-rule (i) of rule 4-A the quorum to constitute a meeting of the committee shall be two. The learned Deputy Government Advocate could not controvert the factual position that no notification in this regard has been issued by the State Government. As a matter of fact, the judgment passed by the learned District Collector is not in conformity with the observations of the Hon'ble Rajasthan High Court. Therefore, all these matters are required to be remitted back to the learned District Collector Jaisalmer for passing the judgment afresh.

10. Resultantly, these appeals are accepted and the impugned judgments passed by the learned District Collector are set aside. The matters are remitted to the court below for passing the judgment afresh in the letter and spirit of the judgment dated 20.11.1991 passed by the Hon'ble Rajasthan High Court in the Writ Petition no. 4040/1998. The parties shall appear in the court below on 15 March 2019. Thereafter, the learned District Collector shall conclude the proceedings expeditiously as per law and not later than within six months from today.

Pronounced. **(Rajinder Kumar)**

Member

W.R.

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Appeal/TA/6738/2017/Chittorgarh.

Bhairulal s/o Harlal Jat and others ….Appellants.

Versus

Shobha Devi w/o Ratanlal Jat and others ….Respondents.

D.B.

Shri Mohan Lal Nehra, Member

Shri Rajinder Kumar, Member

Present :

Shri Rajendra Brar, counsel for Appellants.
Shri S.K. Purohit, counsel for Respondents no. 1 and 2.
Shri Rohit Soni, counsel for Respondents no. 3 and 4.
Shri Ayub Khan, counsel for Respondents no. 5 to 8.

Dated : 10-12-2018

JUDGMENT

Per Shri Rajinder Kumar, Member

1. This second appeal under section 225 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 has been filed against the judgment dated 20.09.2017 of the learned Revenue Appellate Authority, Chittorgarh passed in Appeal no. 255/2016.

2. The narration of facts given in the memo of appeal is that the respondent no. 3 and 4 filed a suit against the appellants under sections 88, 188 and 209 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the lands situated in Village Boodh, Tehsil Gangrar. The suit was decreed exparte by the trial court vide judgment dated 31.05.2008. In compliance of the said judgment and decree, the entries were also made in the Revenue Record in favor of the plaintiffs. The present appellants filed an application under

Order 9 Rule 13 CPC for setting aside the exparte judgment and decree. Alongwith that application, a stay application was also filed. The learned trial court accepted the stay application and directed to maintain status quo regarding the suit land and an order restraining to the parties to mortgage, sale or gift the disputed land was also passed till pendency of application under Order 9 Rule 13 CPC. The respondents no. 3 and 4/plaintiffs appeared in the proceedings of application under Order 9 Rule 13 CPC and despite of the continuance of the operation of the stay order, they executed a bogus sale deed in favor of the respondents no. 1 and 2 on 4-06-2010. Subsequently, the application under Order 9 Rule 13 CPC was allowed setting aside the exparte judgment and decree dated 31.05.2008. The suit was restored to its original number. The appellants submitted an application under section 144 CPC for restitution of the status which obtained prior to the passing of exparte judgment and decree. The said application was allowed by the trial court and the order having been maintained upto the Board of Revenue, the entries in the revenue record were restored in the names of the appellants. Thereafter, the plaintiffs/respondents no. 3 and 4 filed an application under Order 23 Rule 1 CPC for withdrawn of their suit whereupon on 21.07.2016, the learned trial court dismissed the suit as withdrawn. The present respondents no. 1 and 2, i.e, the transferees pendents lite filed an appeal in the court of learned Revenue Appellate Authority assailing the order dated 21.07.2016 of the trial court and the learned first appellate court illegally allowed the appeal and remanded the suit to the trial court for fresh decision after accepting the applications filed by the respondents no. 1 and 2 under section 96 and Order 1 Rule 10 CPC. The learned appellate court also made an order for impleading the respondent no. 1 and 2 as plaintiffs to the suit and transposing the respondents no. 3 and 4/ plaintiffs as the defendants. Feeling aggrieved, this second appeal has been filed by the original defendants.

3. The questions of law involved in this appeal are:-

1) Whether the respondents no. 1 and 2 were necessary parties to the suit and the trial court committed an illegality in dismissing the suit as withdrawn on the request of the original plaintiffs without first deciding the application of the respondents no. 1 and 2 for their impleadment in the suit ?

2) Whether the learned first appellate court committed an illegality in accepting the application of the respondents no. 1 and 2 filed under Order 1 Rule 10 CPC and remanding the case to the trial court for de novo adjudication after impleading the respondents no. 1 and 2 as the plaintiffs and transposing the original plaintiffs as the defendants to the suit ?

4. We have heard the learned counsels.

5. On behalf of the appellants, it was argued that the sale deeds in question have no value as the same were got executed and registered during the currency of stay order dated 30.04.2009 passed by the court in application under Order 9 Rule 13 CPC. In view of the provisions of Section 52 of the Transfer of Property Act, the said sale deeds are void ab initio and do not create any right, title or interest in favor of the vendees. Thus, the respondents no. 1 and 2 had no locus standi to prefer an appeal against the order of withdrawl of suit by the plaintiffs. A suit cannot continue, if the plaintiff wishes to withdraw the same as he is master of his case. In the instant matter, the learned first appellate court passed a strange order of reviving the suit to its original number and ordering to implead the vendees as the plaintiffs and the vendors/original plaintiffs as the defendants. After the withdraw of suit by the plaintiffs, the application under Order 1 Rule 10 CPC automatically became infructuous and therefore, the learned appellate court had no jurisdiction to accept the said application and to permit the respondents no. 1 and 2 to continue the suit filed by the original plaintiffs. In addition to it, after the withdrawl of suit and before the filing of first appeal, the disputed land stood transferred to the respondents no. 5 to 8 by way of the registered sale deed dated 01.08.2016 and therefore, appeal by the stranger vendees was not maintainable without getting the sale deed dated 1.08.2016 set-aside. His further argument was that in the instant matter, the only relief which the respondents no. 1 and 2 could seek against the original plaintiffs was one for recovery of sale consideration paid by them in pursuance to the disputed sale deed. Therefore, a prayer was made to accept the appeal and set aside the impugned judgment of the learned first appellate court.

6. In support of the above submissions, the learned counsel has relied upon the following citations:-

1) 2013 (1) RRT 7 [SC] 'Vidur Impex and Traders Pvt. Ltd. Vs. Tosh Apartments Pvt. Ltd.' :- In that case the appellants purchased the disputed properties during the pendency of the case and the currency of order of injunction. Therefore, they were not ordered to be impleaded as party to the proceedings.

2) Civil Appeal no. 3937 of 2013 decided on 18.04.2013 'Jehal Janti & or Vs Nageshwar Singh':- In that case, it was held by the Hon'ble Supreme Court that a sale deed executed in teeth of injunction order would be unlawful.

3) AIR 2007 Rajasthan 73 'Parasmal & or Vs Ms. Sobhag Devi & or' :- In that case, it was held that a sale deed executed during the pendency of revenue suit would be a nullity in view of the doctrine of lis pendency.

4) 2015 (2) RBJ 581 'Ms. Bali Bai Vs. Meghraj' :- In that case, it was held by the Board of Revenue that where during the continuation of stay order, a sale deed is executed, the vendee cannot be impleaded party to the proceedings.

7. The appeal was contested mainly on behalf of the respondents no. 1 and 2 by submitting that the respondents no. 1 and 2 are the bonafide purchasers of the suit land and thus, the learned first appellate court committed no illegality in ordering their impleadment and consequently, remanding the case to the trial court for denovo trial. The learned first appellate court was empowered to transpose the original plaintiffs as defendants under its inherent powers. The learned appellate court, while deciding the first appeal, has taken care of all the factual and legal aspects involved in the instant case. Learned counsel has further submitted that the application of the respondents no. 1 and 2 for their impleadment was pending in the trial court and the respondents no. 3 and 4 submitted an application for pre-ponement of the suit without giving any intimation to the respondents no. 1 and 2 and illegally got their suit dismissed as withdrawn. In such circumstances, the judgment of the first appellate court is perfectly justified and no exception can be made to the same. In support of the

aforesaid submissions, the learned counsel has placed reliance on 1999 DNJ [SC] 178 'Savitri Devi Vs. District Judge, Gorakhpur & or'.

8. We have given our anxious consideration to the aforesaid submissions and perused the record carefully.

9. Our determination on the aforesaid legal questions are as follows:-

Legal Point No.1.

The first point that requires consideration is whether the respondents no. 1 and 2 were entitled to the impleaded as parties in the suit on the ground that during the pendency of the suit, they had purchased the suit land from the original plaintiffs/respondents no. 3 and 4. In the matter of 'Vidur Impex and Traders Pvt. Ltd.' [supra], the Hon'ble Supreme Court, after citing a number of judgments including the judgment passed in Savitri Devi's case [supra], laid down the following broad principles which should govern disposal of an application for impleadment:-

"36.Though there is apparent conflict in the observations made in some of the aforementioned judgments, the broad principles which should govern disposal of an application for impleadment are:

1) The Court can, at any stage of the proceedings, either on an application made by the parties or otherwise, direct impleadment of any person as party, who ought to have been joined as plaintiff or defendant or whose presence before the court is necessary for effective and complete adjudication of the issues involved in the suit.

2) A necessary party is the person who ought to be joined as party to the suit and in whose absence an effective decree cannot be passed by the court.

3) A proper party is a person whose presence would enable the Court to completely, effectively and properly adjudicate upon all matters and issues, though he may not be a person in favour of or against whom a decree is to be made.

4) If a person is not found to be a proper or necessary party, the Court does not have the jurisidiction to order his impleadment against the wishes of the plaintiff.

5) *In a suit for specific performance, the Court can order impleadment of a purchaser whose conduct is above board, and who files application for being joined as party within reasonable time of his acquiring knowledge about the pending litigation.*

6) *However, if the applicant is guilty of contunmacious conduct or is beneficiary of a clandestine transaction or a transaction made by the owner of the suit property in violation of the restraint order passed by the Court or the application is unduly delayed then Court will be fully justified in declining the prayer for impleadment."*

10. In the light of the above, we have scanned the material placed on record. The respondents no. 1 and 2 were not party to the suit and they had purchased the suit land from the original plaintiffs during the pendency of the suit and in clear violation of the order of injunction passed by the learned trial court, which had restrained the original plaintiffs/respondents no. 3 and 4 from maintaining the status quo. Therefore, the said sale deed had no legal sanctity and the presence of the vendees pendent lite was not at all necessary for adjudication of the revenue lis pending between the original parties to the suit.

11. The next point for our consideration is whether the trial court committed an illegality in dismissing the suit as withdrawn on the request of the original plaintiffs without first deciding the application of respondent no. 1 and 2 for impleadment in the suit ?

12. The provisions for the withdrawal and adjustment of suits are contained in Order XXIII of the Code of Civil Procedure, 1908. The said provisions are as under:-

"Order XXIII

Withdrawal of suit or abandonment of part of claim:

1) *At any time after the institution of a suit the plaintiff may, as against all or any of the defendants, withdraw his suit or abandon a part of his claim. Provided that where the plaintiff is a minor or other person to whom the provisions contained in Rules 1 to 14 of Order XXXII (suits by or against minors) extend, neither the suit*

nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court.

2) *An application for leave under the proviso to sub-rule (1) shall be accompanied by an affidavit of the next friend and also, if the minor or such other person is represented by a pleader, by a certificate of the pleader to the effect that the abandonment proposed is, in his opinion, for the benefit of the minor or such other person.*

3) *Where the court is satisfied—*

  a) *That a suit must fail by reason of some formal defect; or*

  b) *That there are other sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject-matter of a suit or part of a claim, it may, on such terms as it thinks fit, grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or abandon such part of the claim with liberty to institute a fresh suit in respect of the subject-matter of such suit or such part of the claim.*

4) *Where the plaintiff—*

  a) *abandons any suit or part of claim under sub-rule (1) or*

  b) *withdraws from a suit or part of a claim without the permission referred to in sub-rule (3), he shall be liable for such costs as the court may award and shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject-matter or such part of the claim.*

5) *Nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of several plaintiffs to abandon a suit or part of a claim under sub-rule (1), or to withdraw, under sub-rule (3) any suit or part of a claim, without the consent of the other plaintiffs."*

The scope of the above provisions was recently interpreted by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 2007 of 2017 decided on 30.11.2017 in the matter of 'Anil Kumar Singh Vs Vijay Pal Singh & ors' in the following terms:-

"24. In our considered opinion, when the plaintiff files an application under Order XXIII Rule 1 and prays for permission to withdraw

the suit, whether in full or part, he is always at liberty to do so and in such case, the defendant has no right to raise any objection to such prayer being made by the plaintiff except to ask for payment of the cost to him by the plaintiff as provided in sub-rule (4).

25. The reason is that while making a prayer to withdraw the suit under Rule 1(1), the plaintiff does not ask for any leave to file a fresh suit on the same subject matter. A mere withdrawal of the suit without asking for anything more can, therefore, be always permitted. In other words, the defendant has no right to compel the plaintiff to prosecute the suit by opposing the withdrawal of suit sought by the plaintiff except to claim the cost for filing a suit against him.

26. However, when the plaintiff applies for withdrawal of the suit along with a prayer to grant him permission to file a fresh suit on the same subject matter as provided in sub-rule (3) of Rule 1 then in such event, the defendant can object to such prayer made by the plaintiff. In such event, it is for the Court to decide as to whether the permission to seek withdrawal of the suit should be granted to the plaintiff and, if so, on what terms as provided in sub-rule (3) of Rule 1."

In view of the above legal propositions, we are of the considered opinion that the trial court committed no illegality in permitting the original plaintiffs to withdraw their suit under sub-rule (1) of Rule 1 as the respondents no. 1 and 2 were not only strangers to the suit but they had purchased the suit land during the continuance of stay order of the court and thus, they could not have continued the suit filed by the original plaintiffs.

13. Therefore, the first question of law is answered accordingly in favor of the appellants.

Legal Question No. 2

14. In view of the above, the learned first appellate court committed a grave illegality in accepting the appeal and directing the restoration of the suit

to its original number and transposing the original plaintiffs as the defendants and ordering the impleadment of the respondents no. 1 and 2 as the plaintiffs. The procedure such as the one adopted by the learned first appellate court is totally unknown to law. Ordinarily, when the suit is withdrawn by the plaintiff unconditionally, the court has no option but to dismiss the same as prayed by him subject to the payment of costs. But several exceptions have been recognized to this general rule, eg., in cases of partition, or suits for rendition of accounts where preliminary decrees have been passed therein. The present case was not covered by any of such instances.

15. It is also pertinent to note that the moment the suit was withdrawn, unconditionally, there remained no plaintiffs and no defendants and thus, there was no suit in which the respondent no. 1 and 2 could have been impeaded as the defendants, as directed by the learned first appellate court. In other words, there was no question of ordering the continuance of the instant suit. The impugned judgment, if allowed to stand, would raise questions of jurisdiction, limitation, court fees and its maintainability. The respondents no. 1 and 2, if at all they want any relief, they must file a separate suit describing the cause of action accruing in their favor. They cannot be permitted to prosecute a suit with the cause of action accrued in favor of the original plaintiffs at the relevant time.

16. The appeal deserves to be allowed. However, the respondent no. 1 and 2 shall be at liberty to seek their remedy, if any, elsewhere against the respondents no. 3 and 4.

17. In view of what has been stated above, the course of action adopted by the learned first appellate court is not only arbitrary but against the provisions of the CPC as well. Therefore, this question of law is also held in favor of the appellants. This appeal, therefore, deserves to be allowed.

18. Resultantly, the appeal in hand is allowed. The impugned judgment is set aside and the order of the trial court is restored.

Pronounced.

(Rajinder Kumar) **(Mohan Lal Nehra)**

Member **Member**

राजस्व अधिकारियों के वाद निस्तारण : मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा

राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों द्वारा अवधि 01.04.2019 से 30.06.2019 (त्रैमासिक) में निस्तारित राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

त्रैमास अवधि 01.04.2019 से 30.06.2019 में राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के कार्य की निम्नांकित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा की गयी। **लोकसभा आम चुनाव 2019 में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त व्यस्त रहने के कारण राजस्व वादों के निस्तारण में 2 माह (अप्रेल व मई 2019) की छूट (61 दिन) मण्डल के आदेश कमांक 2731–3200 दिनांक 04.07.2019 प्रदान की गई है।** समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन की स्थिति(ग्रेडिंग) को भी नीचे दर्शाया गया है।

मापदण्डः– न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों के आधार परः–

1– राजस्व अपील प्राधिकारीः–

1000 या अधिक लम्बित
राजस्व मुकदमों पर – 80 बहुपक्षीय प्रतिमाह
500 से 999 लम्बित
राजस्व मुकदमो पर – 60 बहुपक्षीय प्रतिमाह
500 से कम लम्बित
राजस्व मुकदमो पर – 40 बहुपक्षीय प्रतिमाह
(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है)

2– भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारीः–

(क) 1000 या अधिक लम्बित – 50 मामले बहुपक्षीय
राजस्व मुकदमों पर – 30 मामले एक पक्षीय प्रतिमाह
(ख) 500 से 1000 लम्बित – 30 मामले बहुपक्षीय
राजस्व मुकदमो पर – 15 मामले एक पक्षीय प्रतिमाह
(ग) 500 से कम लम्बित – 20 मामले बहुपक्षीय
राजस्व मुकदमो पर – 10 मामले एक पक्षीय प्रतिमाह
(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है)

समीक्षा उपरान्त मूल्यांकनः–

(अ) मानदण्ड का 100ः से अधिक–उत्कृष्ट–'ए'

1– राजस्व अपील प्राधिकारीः– अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा, पाली।

2– भू.–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारीः– भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, कोटा, टोंक, उदयपुर ।

(ब) मानदण्ड का 90% से 100% तक –'बहुत अच्छा'–'बी'

1– राजस्व अपील प्राधिकारीः– –

2– भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी –

(स) मानदण्ड का 80% से 90% तक –'अच्छा'–'सी' –

1– राजस्व अपील प्राधिकारी :– नागौर। –

2– भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी –

(द) मानदण्ड का 70% से 80% तक –'औसत'–'डी'

1– राजस्व अपील प्राधिकारीः– –

2– भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी :–

(य) मानदण्ड का 70% से नीचे –'औसत से नीचे'–'ई'

1– राजस्व अपील प्राधिकारी – अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, जोधपुर, सवाई माधोपुर ।

2– भू.–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी – अलवर, सीकर।

ग्रेड "ई" के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जाए तथा कम निस्तारण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01.04.2019 से 30.06.2019 में निस्तारित किये गये राजस्व–प्रकरणों पर मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा।

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01.04.2019 से 30.06.2019 में किये गये राजस्व–प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांकः प.12(18)राम /निरी /78/975 दिनांक 03.04.2012 के परिपेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया हैं–

निर्धारित मापदण्डः–10 अपील/निगरानी एवं 20 विविध प्रकरण प्रतिमाह

त्रैमासिक 30 अपील/निगरानी एवं 60 विविध प्रकरण = 60 अपील/निगरानी

लोकसभा आम चुनाव 2019 में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त व्यस्त रहने के कारण राजस्व वादों के निस्तारण में 2 माह (अप्रेल व मई 2019) की छूट (61 दिन) मण्डल के आदेश क्रमांक 2731–3200 दिनांक 04.07.2019 प्रदान की गई है।

ग्रेडिंग का आधारः

1	मानदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मानदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मानदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग– अजमेर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अजमेर	A+
2	जिला कलेक्टर, भीलवाडा	A+
3	जिला कलेक्टर, नागौर	A+
4	जिला कलेक्टर, टोंक	A+

सम्भाग– भरतपुर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, भरतपुर	A+
2	जिला कलेक्टर, धौलपुर	B+
3	जिला कलेक्टर, करौली	B+
4	जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर	A+

सम्भाग– बीकानेर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बीकानेर	A+
2	जिला कलेक्टर, चुरू	A+
3	जिला कलेक्टर, गंगानगर	A+
4	जिला कलेक्टर, हनुमानगढ	A+

सम्भाग– जयपुर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अलवर	A+
2	जिला कलेक्टर, दौसा	B+
3	जिला कलेक्टर, जयपुर	A+
4	जिला कलेक्टर, झुझुंनूं	A+
5	जिला कलेक्टर, सीकर	A+

सम्भाग– जोधपुर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बाड़मेर	B
2	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	A+
3	जिला कलेक्टर, जालौर	A+
4	जिला कलेक्टर, जोधपुर	A+
5	जिला कलेक्टर, पाली	A+
6	जिला कलेक्टर, सिरोही	A+

सम्भाग– कोटा

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बारां	A+
2	जिला कलेक्टर, बून्दी	A+
3	जिला कलेक्टर, झालावाड़	B
4	जिला कलेक्टर, कोटा	A+

सम्भाग– उदयपुर

क्र. सं.	जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	C
2	जिला कलेक्टर, चितौडगढ़	A+
3	जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	A
4	जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	A+
5	जिला कलेक्टर, राजसमन्द	C
6	जिला कलेक्टर, उदयपुर	A+

(श्री हरिशंकर गोयल)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01.04.2019 से 30.06.2019 में निस्तारित किये गये राजस्व–प्रकरणों पर मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा।

अति. जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01.04.2019 से 30.06.2019 में किये गये राजस्व–प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांकः प.12(18)राम/निरी /78/975 दिनांक 03.04.2012 एवं मण्डल के पत्र क्रमांक 8260 दिनांक 18.12.2018 के संशोधन पश्चात परिपेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया हैं–

निर्धारित मापदण्डः– प्रति माह 50 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि

त्रैमासिक 240 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि

लोकसभा आम चुनाव 2019 में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त व्यस्त रहने के कारण राजस्व वादों के निस्तारण में 2 माह (अप्रेल व मई 2019) की छूट (61 दिन) मण्डल के आदेश क्रमांक 2731–3200 दिनांक 04.07.2019 प्रदान की गई है।

ग्रेडिंग का आधारः

1	मापदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मापदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मापदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग– अजमेर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, अजमेर	A
2	अति0 जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	A+
3	अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना (नागौर)	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, नागौर	B
5	अति0 जिला कलेक्टर, टोंक	B+

सम्भाग– भरतपुर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, भरतपुर	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, डीग (भरतपुर)	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, धौलपुर	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, करौली	A+
5	अति0 जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, (गंगापुरसिटी) स. माधोपुर	C

सम्भाग– बीकानेर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बीकानेर	A+
2	अति0 जिला कलेक्टर, चुरू	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, गंगानगर (प्र0)	A+
4	अति0 जिला कलेक्टर, गंगानगर (सतर्कता)	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, सूरतगढ (गंगानगर)	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	B
7	अति0 जिला कलेक्टर, नोहर	C

सम्भाग– जयपुर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, अलवर (प्रथम)	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, अलवर (द्वितीय)	A+
3	अति0 जिला कलेक्टर, दौसा	B+
4	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (प्रथम)	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (द्वितीय)	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (तृतीय)	C
7	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (चतुर्थ)	C
8	अति0 जिला कलेक्टर, कोटपूतली	C
9	अति0 जिला कलेक्टर, झुझुंनूं	C
10	अति0 जिला कलेक्टर, सीकर	C

सम्भाग– जोधपुर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बाड़मेर	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, जालौर	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, जोधपुर (प्रथम)	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, जोधपुर (द्वितीय)	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, जोधपुर (तृतीय)	C
7	अति0 जिला कलेक्टर, पाली	C
8	अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही	C

सम्भाग– कोटा

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बारां	A+
2	अति0 जिला कलेक्टर, शाहबाद (बारां)	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, बून्दी	A
4	अति0 जिला कलेक्टर, झालावाड़	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, कोटा	C

सम्भाग– उदयपुर

क्र. सं.	अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, चितौड़गढ़	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, राजसमन्द	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, उदयपुर	B

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राज्य के उपखण्ड एवं सहायक कलक्टरों द्वारा त्रैमासिक अवधि 01.04.2019 से 30.06.2019 तक में निस्तारित किये गये राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

त्रैमासिक अवधि 01.04.2019 से 30.06.2019 में राज्य के समस्त उपखण्ड एवं सहायक कलक्टरों द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2019 में चुनाव कार्य में व्यस्त रहने के कारण उपखण्ड न्यायालयों को 41 एवं सहायक कलक्टर न्यायालयों को 61 वादों की छूट देकर समीक्षा की गई है।

निर्धारित मापदण्डः— 1— उपखण्ड अधिकारी — 15 वाद एवं 15 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह
2— सहायक कलक्टर — 20 वाद एवं 30 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह
(3 विविध प्रार्थना पत्रों को 1 बहुपक्षीय माना गया है।)

(अ) मानदण्ड का 100% से अधिक—"उत्कृष्ट—ए+"

1. **उपखण्ड अधिकारी** :— रामगढ़, मुण्डावर, तिजारा, बहरोड़, निम्बराना, शिव, भरतपुर, बयाना, कुम्हेर, पहाड़ी, भूसावर, गुलाबपुरा, माण्डलगढ़, निम्बाहेड़ा, सरदारशहर, सिकराय, सादुलशहर, पदमपुर, संगरिया, रावतसर, पीलीबंगा, चाकसू, कोटपुतली, खानपुर, झुन्झुनूं, ऑसिया, खींवसर, रियाबड़ी, देवली, टोडारायसिंह।

2. **सहायक कलक्टर** :— कोटपुतली।

(ब) मानदण्ड का 90% से 100: तक—"बहुत अच्छा—ए"

1. **उपखण्ड अधिकारी** :— जहाजपुर, बिजौलिया, कोलायत, उदयपुरवाटी, सूरजगढ़, मालपुरा

2. **सहायक कलक्टर** :— शून्य।

(स) मानदण्ड का 80% से 90% तक—"अच्छा—बी+"

1. **उपखण्ड अधिकारी** :— लक्ष्मणगढ़, भीलवाड़ा, माण्डल, गंगरार, भादरा, सांभर, रामगंजमण्डी, ईटावा, छोटी सादड़ी।

2. **सहायक कलक्टर** :— शून्य।

(द) मानदण्ड का 70% से 80% तक—"औसत—बी"

1. **उपखण्ड अधिकारी** :— ब्यावर, किशनगढ़, कोटकासिम, बारां, छीपाबडौद, बाड़मेर, छतरगढ़, कपासन, भदेसर, राजगढ़, टिब्बी, भवानीमण्डी, चिड़ावा, नवलगढ़, फलौदी, बिलाड़ा, कनवास, डेगाना, नीमकाथाना, दातारामगढ़, धोद, टोंक, निवाई, मावली।

2. **सहायक कलक्टर** :— कुम्हेर।

(ड) **मानदण्ड का 70% से नीचे–"औसत से नीचे–सी"**

1. **उपखण्ड अधिकारी** :– अजमेर,, केकड़ी, नसीराबाद, मसूदा, पीसांगन, सरवाड़, भिनाय, पुष्कर, रूपनगढ़, टाटगढ़, अलवर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर, कि0बास, बानसूर, रेणी, बांसवाड़ा, घाटोल, कुशलगढ़, बागीदौरा, गढ़ी, छोटी सरवन, आनन्दपुरी, सज्जनगढ़, छबड़ा, अटरू, किशनगंज, मांगरोल, शाहबाद, अन्ता, बालोतरा, गुढ़ामालानी, बायतु, चौहटन, रामसर, सिवाना, सिणधरी, सेड़वा, धोरीमन्ना, डीग, कांमा, बैर, नदबई, रूपवास, नगर, शाहपुरा, बनेड़ा, गंगापुर, रायपुर, कोटड़ी, आसींद, फूल्याकलां, हमीरगढ़, करेड़ा, बदनौर, बीकानेर, खाजूवाडा, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, लूणकरनसर, पूंगल, बून्दी, नैनवा, के.पाटन, हिण्डोली, लाखेरी, तालेड़ा, चित्तौड़गढ़, बैगूं, बडीसादड़ी, रावतभाटा, राशमी, डुंगला, भूपालसागर, चुरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, तारानगर, बीदासर, दौसा, बांदीकुई, महुवा, लालसोट, नागलराजावतान, रामगढ़ पचवारा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सैपऊ, राजाखेड़ा, सरमथुला, डूंगरपुर, सांगवाड़ा, सीमलवाड़ा, आसपुर, बिछीवाड़ा, गंगानगर, करनपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ, घडसाना, सूरतगढ़, विजयनगर, हनुमानगढ़, नोहर, जयपुर, बस्सी, जयपुर(द्वितीय), आमेर, ज.रामगढ़, विराटनगर, चौमूं, शाहपुरा, दूदू, फागी, जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ़, भनियाना, जालौर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, साचौर, सायला, बागौडा, जसवन्तपुरा, चितलवाना, झालावाड़, अकलेरा, पिड़ावा, मनोहरथाना, गंगरार, असनावर, खेतड़ी, बुहाना, मल्सीसर, जोधपुर, पीपाड़शहर, शेरगढ़, लूणी, भोपालगढ़, बावड़ी, बाप, बलेसरा, करौली, हिण्डौन, मण्डरायल, सपोटरा, टोडाभीम, नादौती, कोटा, दीगोद, सागोद, नागौर, मेड़ता, डीड़वाना, परबतसर, जायल, नावां, मकराना, लाडनूं, कुचामनसिटी, पाली, बाली, सोजत, जैतारण, देसूरी, सुमेरपुर, रोहट, मा. जक्शन, रायपुर, रानी, राजसमन्द, नाथद्वारा, भीम, कुम्भलगढ़, रेलमगरा, आमेट, देवगढ़, सवाई माधोपुर, गंगापुरसिटी, बोली, बामनवास, खण्डार, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डुंगर, सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ, श्रीमाधोपुर, रामगढ शेखावाटी, खंन्डेला, सिरोही, आबूपर्वत, रेवदर, पिण्डावा, शिवगंज, उनियारा, पीपलू, गिर्वा, वल्लभनगर, खैरवाड़ा, झाड़ोल, कोटड़ा, सलूम्बर, लसाड़िया, सराड़ा, ऋषभदेव, गोगुदा, प्रतापगढ़, धरियावाद, अरनोद, पीपलखूंट।

2. **सहायक कलक्टर** :– आमेर, अलवर, बानसूर, बहरोड़, भरतपुर, नदवई, उच्चेन, बीकानेर, दौसा, लालसोट, धौलपुर, जयपुर, जयपुर (शहर), आमेर, बस्सी, फागी, सांभर, चौमू, कोटा, दिगोद, करौली, नागौर मु., सवाई माधोपुर, गंगापुरसिटी, सीकर, सीकर द्वितीय, टोंक।

उपखण्ड अधिकारी सांवला, गलियाकोट, चिकली, वजीरपुर, बड़गांव का पद नवसृजित/पदरिक्त होने के कारण इनकी समीक्षा नहीं की गई है।

पुराने लम्बित वादों के निस्तारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर, वर्ष 2005 से पूर्व के लम्बित वादों को प्राथमिकता से निपटाने की कार्यवाही की जाए।

(श्री हरिशंकर गोयल)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्व नियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं संशोधनादि

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग

क्रमांक : जयपुर, दिनांक :

परिपत्र

विषयः— स्थानीय निकायों को आवंटित भूमि की किस्म के संबंध में।

कुछ राजस्व अधिकारियों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि स्थानीय निकायों को अधिसूचना दिनांक 8.12.2010 अथवा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102क के तहत अथवा अन्यथा स्थानीय निकाय को आवंटित भूमियों की किस्म क्या रहेगी।

इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी समस्त भूमियों को स्थानीय निकाय को आवंटित कर जमाबंदी में उनके नाम अकित करते समय भूमि की किस्म आबादी भी दर्ज की जाए। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि शहरी निकायों हेतु आबादी का अर्थ आवासीय प्रयोजनार्थ नहीं है एवं वे उस भूमि का उपयोग मास्टर प्लान, यदि कोई है, तो उसके अनुसार किसी भी प्रयोजन यथा आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि हेतु कर सकता है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भूमि की किस्म चारागाह है, तो क्षतिपूर्ति आवंटन से पूर्व अन्य सिवायचक भूमि से की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि भूमि जल भराव क्षेत्र में है जिसमें प्राकृतिक जल स्रोतों तक बरसात का पानी पहुँचाने वाले साधन यथा नाला पायतन, तालाब, ट्रीब्यूट्री एवं प्राकृतिक जलस्रोत यथा नदी, तालाब, बांध जोहड़, आदि सम्मिलित है, तो ऐसी भूमियों की किस्म परिवर्तन आबादी में नहीं की जाए।

आज्ञा से

(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.(41) राज–1/2019 जयपुर, दिनांकः 14.11.2019

–: अधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15 सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गठन/पुनर्गठन हेतु जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में जिला अलवर तहसील थानागाजी एवं बानसूर का पुनर्गठन करते हुये उप तहसील नारायणपुर जिला अलवर को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील नारायणपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क.सं.	नाम भू–अभिलेख निरीक्षक वृत	भू–अभि, निरी, वृत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	नारायणपुर	9163.18	नारायणपुर ए	1584.62
			नारायणपुर बी	928.98
			विजयपुरा	893.53
			बामनवास कांकड	5146.49
			कोलाहेडा	609.56
2	अजबपुरा	9054.20	अजबपुरा	374.15
			गढ़ी	1963.23
			खरखडी	2156.53
			मुण्डावरा	3707.36
			चान्दपुरी	852.93
3	ज्ञानपुरा	6299.91	ज्ञानपुरा	1847.54
			कराणा	2792.26
			बिलाली	1660.11
4	नीमूचाना	4217.12	नीमूचाना	1787.07
			चतरपुरा	1460.50
			बासदयाल	969.55
योग	04	28734.41	16	28734.41

पुनर्गठित तहसील थानागाजी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क.सं.	नाम भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू–अभि, निरी, वृतका क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल(हैक्टेयर में)
1	थानागाजी	6195.95	थानागाजी	1667.88
			नाथूसर	733.14
			भांगडोली	2465.63
			हरनेर	1329.3
2	भूडियावास	6160.35	भूडियावास	1402.93
			द्वारापुर	799.99
			बसईजोगियान	963.36
			दुहारचौगान	2994.07
3	सालेटा	6943.28	सालेटा	1600.29
			मालूताना	2416.19
			गढबसई	1362.28
			नांगलबानी	1564.52
4	किशोरी	5196.02	किशोरी	1512.21
			सीलीबावडी	1012.33
			गुवाडा हार	692.26
			अजबगढ़	1979.22
5	बामनवासचौगान	8063.54	बामनवासचौगान	2228.89
			क्यारा	2378.92
			अंगारी	1834.48
			गुढ़ाचुरानी	1621.25
6	प्रतापगढ़	6730.82	प्रतापगढ़	1183.93
			लालपुरा	1173.44
			माधोगढ़	1752.49
			झिरी	2620.96
7	आगर	5650.32	आगर	1921.46
			पढाकछापली	2751.79
			भूरियावास	977.07

8	समरा	9170.52	समरा	2057.19
			हमीरपुर	1486.55
			कालेड	2691.11
			पिपलाई	2935.67
	वन क्षेत्र	467		467
योग	04	54577.8	31	54577.8

पुनर्गठित तहसील बानसूर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क.सं.	नाम भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू–अभि, निरी, वृतका क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल(हैक्टेयर में)
1	बानसूर	4524.97	बानसूर	2293.17
			भूपसेड़ा	1340.92
			बालावास	890.88
2	रामपुर	8133.14	रामपुर	4322.54
			बहराम का बास	1171.63
			लेकड़ी	2638.97
3	हाजीपुर	9411.76	हाजीपुर	2841.58
			चूला	2593.33
			हमीरपुर	2030.14
			छीण्ड	1946.71
4	हरसौरा	5295.47	हरसौरा	1743.67
			बामणबास	1661.77
			माजरा अहीर	1378.72
			भग्गुकाबास	511.31
5	बाबरिया	8934.60	बाबरिया	1250.48
			माजरा ढाकोडा	1799.60
			बबेड़ी	2427.97
			नांगल लाखा	3456.55

6	गूंता	5910.18	गूंता	1699.19
			शाहपुर	1097.20
			मोठूका	1334.42
			महनपुर	1779.37
7	बुटेरी	8157.71	बुटेरी	2513.69
			लोयती	1438.04
			खेड़ा	1861.57
			श्यामपुरा	2344.41
8	गिरूडी(नवसृजित)	5388.44	गिरूडी	1785.85
			होलावास	1683.45
			खोहरी	1919.14
योग	08	55756.27	29	55756.27

आज्ञा से
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9(29) राज–1/2019 जयपुर, दिनांकः 22.10.2019

–: अधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15 सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील के गठन/पुनर्गठन हेतु जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में जिला भरतपुर तहसील नगर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील सीकरी जिला भरतपुर को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील सीकरी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क.सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	सीकरी	3602.44	सीकरी 1	880.24
			सीकरी 2	1094.90
			जयश्री	891.27
			इमलारी	736.03
			कुल क्षेत्रफल	3602.44
2	झंझार	3812.49	झंझार	792.05
			बूडली	687.76
			तेस्की	1468.80
			महरायपुर	863.88
			कुल क्षेत्रफल	3812.49
3	खोहरी	4383.91	जलालपुर	694.98
			उदयपुर निहाम	722.20
			खोहरी	2097.77
			धानौती	868.96
			कुल क्षेत्रफल	4383.91
4	गुलपाडा	3241.40	पालका	838.82
			रायपुर सुकेती	676.26
			उडकी दल्ला	768.82
			पडलवास	957.50
			कुल क्षेत्रफल	3241.50

पुनर्गठित तहसील नगर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि. वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	कस्बा नगर	4053.35	कस्बा नगर	1281.12
			तरोंडर	656.63
			थून	1229.38
			मुन्ढेरा	886.22
			कुल क्षेत्रफल	4053.35
2	फतेहपुरकलां	3882.84	पैन्डका	980.84
			खखावाली	992.83
			मून्डोती	1001.53
			फतेहपुरकलां	907.64
			कुल क्षेत्रफल	3882.84
3	जालूकी	4163.02	सेमलाकलां	946.22
			मोराका	1077.69
			जालूकी	1008.77
			मानोती कलां	1130.34
			कुल क्षेत्रफल	4163.02
4	सेमली	3084.53	सादपुरी	672.84
			गहनकर	813.742
			समेली	716.54
			भटपुरा	881.73
			कुल क्षेत्रफल	3084.53
5	मूंडिया	800.67	चिरावलमाली	925.12
			मूंडिया	867.48
			अकबरपुर फौजदार	772.94
			आलमशाह	800.67
			कुल क्षेत्रफल	3366.21

6	रसिया	4767.26	सुन्दरावली	1057.72
			रसिया	1011.59
			गंगावक	1061.97
			दुनावल	847.27
			सारंगपुर	788.71
			कुल क्षेत्रफल	4767.26
7	बेरूं	3668.17	खेस्ती	853.36
			बेरूं	1116.57
			सिरथला	957.43
			रामसिंह पालकी	740.81
			कुल क्षेत्रफल	3668.17

आज्ञा से
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प.9(30) राज–1/2019 जयपुर, दिनांकः 22.10.2019

–: अधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15 सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गठन/पुनर्गठन हेतु जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में जिला चुरू तहसील राजगढ़ का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील सिद्धमुख जिला चुरू को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील सिद्धमुख के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	सिद्धमुख	15951	सिद्धमुख	6812
2			भीमसाना	3285
3			ढाणीबडी	3261
4			रामसराताल	2593
5	धानोठीबड़ी	15060	धानोठीबड़ी	4340
6			न्यांगल छोटी	3508
7			ताम्बाखेड़ी	3696
8			गालड़	3516
9	भगेला	14731	भगेला	4172
10			पहाड़सर	2881
11			ढिघारला	5134
12			ख्याली	2544
13	चैनपुरा छोटा	20758	चैनपुरा छोटा	3997
14			चैनपुरा बडा	2714
15			बिरमीखालसा	3357
16			घणाउ	4525
17			कांजण	6165
18	ददरेवा	20904	ददरेवा	4435
19			महलानाउतरादा	3469

20			लिलकी	3421
21			सेउवा	6255
22			खुड्डी	3324
योग	5	87404	22	87404

पुनर्गठन तहसील राजगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	कस्बा राजगढ	14325	कस्बा राजगढ़	2633
2			कालाना	3430
3			राजगढ ग्रामीण	3301
4			लम्बोरबडी	4961
5	गुलपुरा	19153	गुलपुरा	3877
6			गोठयांबडी	4635
7			ढंढाललेखू	4226
8			लाखलाण	6415
9	चांदगोठी	10842	चांदगोठी	2521
10			थिरपाली बडी	2161
11			नवां	4069
12			नूहन्द	2091
13	डोकवा	16989	डोकवा	4421
14			भुवाडी	3642
15			मुन्दीताल	3722
16			रतनपुरा	5204
17	नीमां	11358	नीमां	2486
18			जसवन्तपुरा	2744
19			नोरंगपुरा	3497
20			सुलखनियां छोटा	2631
21	बीजावास	16573	बीजावास	4175
22			कालरी	4760
23			ढाणीमोजी	4297
24			बैरासर छोटा	3341
25	राधाछोटी	14684	राधा छोटी	3620
26			खेरूबडी	4206

27			राधा बडी	2858
28			सूरतपुरा	4000
29	सांखू	15052	सांखू	4282
30			नेशल	1955
31			विजयपुरा	3933
32			सांखणताल	4882
33	हमीरवास बडा	13797	हमीरवास बडा	3055
34			बेवड	4022
35			भैसती	3655
36			रामपुरा	3065
योग	8	132773	36	132773

आज्ञा से
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9(35) राज–1/2019 जयपुर, दिनांकः 08.11.2019

–: अधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15 सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील/उप तहसील की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील रामगढ़ पंचवारा जिला दौसा का पुनर्गठन कर नवसृजित तहसील राहुवास जिला दौसा का सृजन करती है।

नवसृजित तहसील राहुवास के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	कल्लावास	3727	कल्लावास	1240
			कालूवास	1478
			गोपालपुरा	1009
2	डूंगरपुर	5833	डूंगरपुर	986
			ढोलावास	830
			सलेमपुरा	3010
			कोलीवाडा	1007
3	राहुवास (नवसृजित)	6881	राहुवास	976
			नयावास	939
			पालून्दा	1970
			डोब	2996
योग	3	16441	11	16441

तहसील रामगढ़ पंचवारा से तहसील राहुवास के सृजन के उपरान्त मूल तहसील रामगढ़ पंचवारा (दौसा) के भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्तों एवं पटवार मण्डलों का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :–

क. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत	भू.अ.नि.वृत कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	रामगढ पंचवारा	2453	रामगढ पचवारा	746
			गांगल्यावास	1054
			नोरंगपुरा	653
2	सोनड	4984	सोनड	996
			हेमल्यावास	1355
			रामनगर रेवडी	1408
			बिदरखा	1225
3	निजामपुरा	7092	निजामपुरा	2629
			बीछा	1911
			अमराबाद	2552
योग	3	14529	10	14529

पत्रिका विवरण

1.	नाम	–	रविरा त्रैमासिक अंक – 120
2.	आकार	–	रविरा 6.25 x 9 इंच
3.	मुद्रित प्रतियाँ	–	24,000
4.	प्रयुक्त कागज	–	(क) कवर कार्डशीट्स 300 जी.एस.एम.
			(ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस.एम.
			(ग) साधारण कागज (मेपलिथो)
			80 से 90 जी.एस.एम.
5.	प्रकाशक	–	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6.	मुद्रक	–	राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर
7.	कवर पेज	–	4 पृष्ठ
8.	रंगीन पृष्ठ	–	12 पृष्ठ
9.	साधारण पृष्ठ	–	92 पृष्ठ

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9(31) राज–1/2019 जयपुर, दिनांकः 22.10.2019

–: अधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15 सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गठन/पुनर्गठन हेतु जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में जिला धौलपुर तहसील धौलपुर का पुनर्गठन करते हुये उप तहसील मनियां जिला धौलपुर को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील मनियां के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	मनियां	3566	मनियां	755
			टांडा	883
			दुबाटी	999
			मांगरौल	929
2	मढाभाऊ	4349	मढाभाऊ	903
			बसईयालालू	674
			खेरली	1322
			विन्तीपुरा	1450
3	विरौंधा	3635	विरौंधा	1244
			दुल्हारा	781
			विपरपुर	850
			धर्मपुरा	760
4	हिनौता	3608	हिनौता	534
			सीयपुरा	709
			जलालपुर	1215
			बोथपुरा	1150
5	बरैठा	5051	बरैठा	1272
			कोटपुरा	1051
			जसूपुरा	1531

			शाहपुरा	1197
योग	कुल–5	20209	कुल–20	20209

पुनर्गठित तहसील धौलपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	धौलपुर	2577	धौलपुर	568
			कस्बा धौलपुर नं.3	1266
			शेखूपुर	743
2	तगावली	7000	तगावली	1171
			लुहारी	1269
			कासिमपुरा	1720
			भैंसेना	2840
3	मौरोली	8280	मौरोली	1877
			कोटरा	3731
			बसईनींव	2672
4	जाटौली	3099	जाटौली	1005
			बरैहमोरी	537
			सादिकपुर	708
			सिंघावली	849
5	पचगांव	4211	पचगांव	1463
			दूबरा	1116
			ओदी	941
			फिरोजाबाद	691
6	सरानीखेडा	5603	सरानीखेडा	1057
			विश्नौंदा	2293
			बइईसामन्ता	1187
			पुरानीछावनी	1066
येाग	कुल–6	30770	कुल–22	30770

आज्ञा से
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प.9(36) राज–1/2019 जयपुर, दिनांकः 08.11.2019

–: अधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15 सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गठन/पुनर्गठन हेतु जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में जिला करौली तहसील हिण्डौन का पुनर्गठन करते हुये उप तहसील सुरोठ जिला करौली को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील सुरौठ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	सुरौठ	4343.07	सूरौठ	1033.49
			बाईजटट	8831277.132
			भुकरावली	1021.36
			जटवाड़ा	1011.09
2	ढिढोरा	4904.05	धंधावली	1382.92
			खेडी हैवत	1331.06
			ढिढोरा	1462.66
			हुक्मीखेडा	727.41
3	विजयपुरा	4323.94	विजयपुरा	766.73
			पाली	1408.83
			लहचौडा	1265.74
			खेडली गुर्जर	882.64
4	शेरपुर	4621.91	शेरपुर	499.1
			चिनायटा	1310.15
			जगर ए	1735.29
			जगर बी	1076.96
योग	कुल–4	18192.97	कुल–16	18192.97

पुनर्गठित तहसील हिण्डौन के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत	भू.अ.नि.वृत कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	हिण्डौन	8389.65	हिण्डौन	3926.86
			करसौली	2385.16
			बनकी	809.90
			जटनंगला	1267.73
2	श्री महावीर जी	2741.09	गांवडी	909.94
			चांदन गांव	673.77
			नंगला मीना	453.80
			नौरंगावाद	703.58
3	पटौदा	3930.16	पटौदा	1040.76
			दानालपुर	648.16
			कटकड	1442.40
			सनैट	798.94
4	महूइब्राहिमपुर	4227.18	महूइब्राहिमपुर	375.71
			महूखास	726.46
			रेवई	872.63
			घोसला	1249.94
			बाजनाकलां	1002.44
5	मण्डावरा	3680.37	मण्डावरा	1083.19
			क्यारदा खुर्द	810.15
			अलीपुरा	1008.54
			ढहरा	778.49
6	खेड़ा	4234.48	खेड़ा	957.60
			काचरौली	1095.69
			फुलवाडा	1467.61
			गुनसार	713.58
7	बझेडा	6559.14	बझेडा	1694.19
			गांवडा मीना	874.31
			टोडूपुरा	908.12
			भंगो	3082.52

8	बरगमा	3144.73	बरगमा	709.42
			इरनिया	999.95
			झारेडा	718.73
			सिकरौदामीना	716.63
9	मौठियापुर	8652.20	मौठियापुर	3931.73
			कोटरी	927.04
			खरैटा	1812.96
			पालनपुरा	1980.47
योग	कुल–9	45585.49	कुल–37	45585.49

आज्ञा से
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांक: प.9(32) राज–1/2019 **जयपुर, दिनांक: 22.10.2019**

–: अधिसूचना:–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15 सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गठन/पुनर्गठन हेतु जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में जिला राजसमंद तहसील नाथद्वारा का पुनर्गठन करते हुये उप तहसील देलवाड़ा जिला राजसमंद को तहसील में क्रमोन्नत करती है।

क्रमोन्नत तहसील देलवाडा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	देलवाड़ा	6502	देलवाडा	659
			नेगडिया	2098
			कालीवास	2209
			बिलोता	1536
2	करोली	6804	करोली	1536
			लाल मादडी	1311
			केसुली	1498
			शिशवी	2459
3	नेडच	7433	नेडच	2365
			घोडच	1691
			सेमल	1534
			उषाण	1843
कुल	**3**	20739	12	20739

पुनर्गठित तहसील नाथद्वारा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	नाथद्वारा	7644	नाथद्वारा	1816
			ओडन	2064

			उथनोल	1895
			बागोल	1869
2	गुंजोल	5094	गुंजोल	1505
			घायला	2058
			बामनहेडा	531
			खेडाना	1000
3	कोठारिया	5856	कोठारिया	1359
			बिलनोल	1623
			नमाना	1336
			कियावास	1538
4	मंडियाना	6845	मंडियाना	1758
			मोगाना	1575
			पाखंड	1993
			सालोर	1519
5	शिशोदा	6447	शिशोदा	2133
			सायों का खेड़ा	1029
			चिकलवास	1178
			कूंठवा	2107
कुल	5	31886	20	31886

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प.9(39) राज–1/2019 **जयपुर, दिनांकः 14.11.2019**

–: अधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15 सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील/उप तहसील की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील कठूमर जिला अलवर का पुनर्गठन कर नवसृजित उप तहसील खेरली मण्डी तहसील कठूमर जिला अलवर सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील खेरली मण्डी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	सोंखर	4427.92	सोंखर	942.24
			सोंखरी	1114.17
			मंगोलाकी	999.83
			सालवाडी	1371.68
2	खेरलीरेल	4280.02	खेरलीरेल	1224.83
			डौरोली	936.32
			बहरामपुर	841.42
			समूची	1277.45
3	दारोदा (आंशिक)	2795.45	दारोदा	1377.37
			गारू	1418.08
4	बसेठ (आंशिक)	2970.24	बसेठ	2064.5
			नाटोज	905.74
	योग	14473.63	12	14473.63

तहसील कठूमर से उप तहसील खेरली मण्डी के सृजन के उपरान्त मूल तहसील कठूमर (अलवर) के भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्तों एवं पटवार मण्डलों का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	कठूमर	4263.04	कठूमर	1218.00
			रेटा	1305.24

			तसई ए	959.80
			तसई बी	780.00
2	साँख	5115.43	साँख	1100.77
			भदीरा	950.02
			तुसारी	1856.14
			मैंथना	1208.50
3	टिटपुरी	4655.09	टिटपुरी	1438.90
			ईसरोता	1527.55
			मथुराहेडा	800.06
			ईद्रावली	888.58
4	बडोदाकान	5289.98	बडोदाकान	1339.97
			जाडला	1199.57
			नूरपुर	1270.76
			तिगारिया	1479.68
5	दारोदा(आंशिक)	2956.52	मसारी	1362.15
			अर्रूवा	1594.37
6	बसेठ(आंशिक)	2845.18	खेडामेदा	1618.03
			बहतुकला	1227.15
योग	06	25125.24	20	25125.24

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9(40) राज–1/2019 जयपुर, दिनांकः 14.11.2019

–: अधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15 सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील/उपतहसील की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील थानागाजी जिला अलवर का पुनर्गठन कर नवसृजित उप तहसील प्रतापगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील प्रतापगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	प्रतापगढ़	6730.82	प्रतापगढ़	1183.93
			लालपुरा	1173.44
			माधोगढ़	1752.49
			झिरी	2620.96
2	समरा	9170.52	समरा	2057.19
			हमीरपुर	1486.55
			कालेड	2691.11
			पिपलाई	2935.67
3	आगर	5650.32	आगर	1921.46
			पडाकछापली	2751.79
			भूरियावास	977.07
	योग	21551.66	11	21551.66

तहसील थानागाजी से उप तहसील प्रतापगढ़ मण्डी के सृजन के उपरान्त मूल तहसील थानागाजी (अलवर) के भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्तों एवं पटवार मण्डलों का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :–

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि.वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	थानागाजी	6195.95	थानागाजी	1667.88

			नाथूसर	733.14
			भांगडोली	2465.63
			हरनेर	1329.3
2	भूडियावास	6160.35	भूडियावास	1402.93
			द्वारापुर	799.99
			बसईजोगियान	963.36
			दुहारचौगान	2994.07
3	सालेटा	6943.28	सालेटा	1600.29
			मालूताना	2416.19
			गढबसई	1362.28
			नांगलबानी	1564.52
4	किशोरी	5196.02	किशोरी	1512.21
			सीलीबावडी	1012.33
			गुवाडा हार	692.26
			अजबगढ़	1979.22
5	बामनवासचौगान	8063.54	बामनवास चौगान	2228.89
			क्यारा	2378.92
			अंगारी	1834.48
			गुढाचुरानी	1621.25
	वन क्षेत्र	467		467
योग	05	33026.14	20	33026.14

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्व समाचार

आरटीएस अधिकारियों का प्रशिक्षण समापन समारोह

गुणवत्ता एवं कर्तव्यनिष्ठा से जन अपेक्षाओं पर खरे उतरें अधिकारी– राजस्व मंडल अध्यक्ष

अजमेर 22 जनवरी, राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में प्रशासन के प्रति जन विश्वास को कायम करने के लिए अधिकारियों को अपने बेहतरीन अनुभव, कर्तव्यनिष्ठा एवम कार्यदक्षता का परिचय देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने की महती आवश्यकता है।

श्री शर्मा अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सभागार में राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित राजस्थान तहसीलदार सेवा के 29वें बैच के प्रशिक्षण समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे ।

उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी के रूप में आपके समक्ष कई चुनौतियां होंगी, जिनका हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर व्यावहारिक आधार पर उचित निर्णय लेना होगा। उन्होंने अधिकारियों से अपने दायित्व का लोक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए निर्वहन करने की बात कही जिससे प्रशासनिक तंत्र के प्रति जन आस्था एवं विश्वास का अटूट बना रहे। उन्होंने प्रशिक्षण काल के दौरान किए गए ज्ञानार्जन को सतत रूप से अद्यतन करते हुए कार्य निष्पादन की सीख दी और कहा कि वे किताबी ज्ञान को व्यावहारिकता के धरातल से जोड़ते हुए अपने कार्य को पूर्ण संवेदनशील होकर निस्तारित करें। उन्होंने बेहतरीन सेवा आचरण से राज्य में श्रेष्ठ एवं आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने की बात कही।

समारोह को संबोधित करते हुए अजमेर के संभागीय आयुक्त एल एन मीणा ने कहा कि तहसीलदार सेवा अधिकारियों की आमजन के प्रति विशेष जवाबदेही है उन्होंने कृषकों से संबंधित प्रकरणों को अधिक संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने पर जोर दिया। उन्होंने कानून व्यवस्था, लोक राहत से संबंधित मुद्दों पर भी विशेष सतर्कता बरतते हुए प्रशासनिक दक्षता का परिचय देने की जरूरत बताई। राजस्व मंडल के अतिरिक्त निबन्धक आशुतोष गुप्ता ने कहा कि 29 वें बेच के तहत करीब 200 आरटीएस प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि विगत 3 जुलाई 2019 से प्रारंभ हुए विविध स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तहसीलदारों को विभिन्न राजस्व अधिनियम के साथ–साथ उनके दायित्वों से जुड़े विविध दायित्वों एवम कार्यप्रणाली की गहनता से जानकारी दी गई ।

समारोह में राजस्व मंडल निबंधक श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, उपनिबंधक प्रिया भार्गव, भावना गर्ग, बीना महावर, अतिरिक्त निदेशक (जीपीएफ) श्रीमती रेखा शर्मा, उप वित्तीय सलाहकार सूरज प्रकाश मोंगा, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) बीना वर्मा, प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम निदेशक गंगाधर सहित अन्य अधिकारीगण एवं आरटीएस प्रशिक्षु अधिकारीगण मौजूद थे। अंत में आभार उपमहानिरीक्षक निरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक भगवत सिंह ने जताया। आरंभ में आरटीएस प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों की ओर से अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

नव नियुक्त सदस्यों का अभिनन्दन एवं राजस्व बार एसोसिएशन के पुस्तकालय का उद्घाटन

मन वचन एवम कर्म आधारित सेवाओं से आमजन को त्वरित एवं उचित न्याय मिले

राजस्व मंडल अध्यक्ष

अजमेर, 12 फरवरी। राजस्व मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए मन, वचन एवं कर्म के माध्यम से श्रेष्ठ कार्य का माहौल पैदा करने की महती आवश्यकता है। श्री शर्मा राजस्व मंडल परिसर में राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित नव पुस्तकालय परिसर के उद्घाटन एवं राजस्व मंडल में नए सदस्यों के अभिनंदन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व श्री शर्मा ने

विधिवत फीता काटकर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने कहा कि लंबे समय से वादों के निस्तारण के लिए इंतजाररत आमजन को त्वरित राहत देने की दिशा में राजस्व बार एवं बेंच के मध्य बेहतर कार्य का वातावरण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। श्रेष्ठ कार्य से ही आमजन में विश्वास कायम हो सकता है। अपने उद्बोधन में राजस्व मंडल में नवनियुक्त सदस्य श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार पुरोहित एवं रवि डांगी ने कहा कि राजस्व बार एवं बेंच के मध्य बेहतर तालमेल के साथ साथ सभी को विधि सम्मत न्याय दिलाने के लिए सभी समग्र प्रयास किए जाएंगे।

राजस्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीपी सिंह राजावत ने कहा कि अधिवक्ताओं से राजस्व मंडल सदस्य के रूप में नियुक्ति सभी एकजुट प्रयासों का फल है। उन्होंने कहा कि बार और राजस्व मंडल के मध्य बेहतर सम्बन्धों के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। श्री राजावत ने इससे पूर्व सभी नवनियुक्त सदस्यों का माल्यार्पण एवं बुके भेंट कर अभिनंदन किया एवं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय भी रखा।

समारोह में राजस्व मंडल के वरिष्ठ सदस्य मोडू दान देथा, एचएस गोयल, सुनील शर्मा, मनोज कुमार नाग, सुरेंद्र माहेश्वरी, पंकज नरूका, सतीश चंद्र गोदारा, रामनिवास जाट, वरिष्ठ अधिवक्ताओं में यज्ञ दत्त शर्मा, ओंकार लाल दवे, पूर्णाशंकर दशोरा, डूंगर सिंह राठौड़, वीरेंद्र सिंह राठौड़, जगदीशप्रसाद माथुर, हगामी लाल चौधरी, जेके पारीक, सुरेंद्र शर्मा, रवि गुप्ता, केके पुरोहित, दुलीचंद ढिढारिया सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं राजस्व मंडल के अधिकारीगण मौजूद थे आरम्भ में राजस्व बार एसोसिएशन के सचिव शंकरलाल चौधरी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।

जैसलमेर में राज्य सिविल सेवा बॉस्केट बॉल प्रतियोगिता सम्पन्न, पाली को विजेता व झुंझुनूँ को उप विजेता का खिताब प्रदान किया गया

जैसलमेर, 4 दिसम्बर। राज्य कार्मिक विभाग के तत्वावधान में जैसलमेर के इन्दिरा इण्डोर स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय षष्ठम् राजस्थान राज्य अन्तर जिला सिविल सेवा बास्केट बॉल प्रतियोगिता सम्पन्न हुई, इसमें विजेता का खिताब पाली की टीम ने जीता जबकि झुन्झुनूँ की टीम को उप विजेता का खिताब दिया गया।

प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में अतिथियों जिला कलक्टर नमित मेहता, जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल, नगर परिषद के सभापति हरिवल्लभ कल्ला एवं सम पंचायत समिति की प्रधान उषा राठौड़ ने विजेता टीम पाली को प्रमाण पत्र, स्वर्ण पदक, स्मृति चिह्न एवं ट्राफी तथा उप विजेता टीम झुंझुनू को प्रमाण पत्र, रजत पदक, स्मृति चिह्न व ट्रॉफी प्रदान किया।

अतिथियों ने कहा – यादगार रही प्रतियोगिता, मेजबानी का भरपूर आनंद आया

समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलक्टर नमित मेहता ने अपने उद्बोधन में राज्य बास्केट बॉल स्पर्धाओं के आयोजन में मेजबानी को आनंददायी बताया और कहा कि आने वाले समय में जैसलमेर जिला प्रशासन इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का और अधिक बेहतरी के साथ आयोजन करेगा। एडीएम ओ.पी. विश्नोई ने स्वागत भाषण व प्रविेदन प्रस्तुत किया।

साँस्कृतिक प्रस्तुति ने किया मुग्ध

समारोह में सूफी गायक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लोक कलाकार सकूर खान एवं दल ने बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुति से स्टेडियम में आनंद का ज्वार उमड़ा दिया।

सभापति ने की समापन की घोषणा, सौंपा ध्वज

नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने तीन दिवसीय प्रतियोगिता समापन की घोषणा की और प्रतियोगिता का ध्वज राज्य शासन सचिवालय के कार्मिक विभाग की खेल अधिकारी सुश्री मालती चौहान को सौंपा। समारोह का संचालन पूर्व मरुश्री बिजय बल्लाणी एवं बास्केट बॉल विशेषज्ञ आशाराम सिन्धी ने किया।

भामाशाहों, निर्णायकों व सहयोगियों का सम्मान–अभिनंदन

खेल प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय योगदान एवं भागीदारी के लिए अतिथियों द्वारा निर्णायकों, भामाशाहों, सहयोगियों व खिलाड़ियों को पुष्पहार, साफा व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिता में सहयोग देने वाले भामाशाह सम रिसोर्ट एवं वेलफेयर सोसायटी के उस्मान खां, स्व. श्री श्यामलाल गहलोत स्मृति ट्रस्ट के मनवन्त गहलोत, जैसलमेर पेट्रोलियम डीलर संघ के महेन्द्र व्यास, रोटरी क्लब जैसलमेर के के. के. व्यास, जैसलमेर विकास समिति के चन्द्रप्रकाश व्यास, जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष, गीता आश्रम भवन के अध्यक्ष, केमल कारवां रॉयल डेजर्ट सफारी के एम डी जितेन्द्र सिंह राठौड़, न्यू वृंदा रेस्टोरेंट के अमित कुमार व्यास, नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला, नगर परिषद आयुक्त बृजेश रॉय, कार्मिक विभाग जयपुर की खेल अधिकारी सुश्री मालती चौहान, जाने–माने खेल विशेषज्ञ लक्ष्मणसिंह तँवर, जैसलमेर के जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्रकुमार व्यास, बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सरोज गर्ग आदि को सम्मानित किया गया।

इसी प्रकार प्रतियोगिता के निर्णायकों का सम्मान किया गया। इनमें भारतीय बास्केट बॉल संघ के निर्णायक अशोक कुमार शर्मा, सुरेश मोरड़िया, बी.आर. पुरोहित, प्रदीप शर्मा, अरविन्द सिंह शेखावत, विवेक रंजन सिंह, यश तिवाड़ी एवं देवकीनन्दन शर्मा, राजस्थान बास्केट बॉल संघ के निर्णायक नरेन्द्र गहलोत एवं प्रसन्नजीत का सम्मान किया गया। शारीरिक शिक्षक देवीसिंह महेचा, महेन्द्र चौधरी, सत्यनारायण भार्गव, जुगल किशोर, अमृतलाल सोनी, लालसिंह एवं बास्केट बॉल प्रशिक्षक मनीष तंवर एवं निर्णायक सतीश गर्ग को भी सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिता में उद्घोषक का बेहतरीन दायित्व निभाने वाले आशाराम सिन्धी एवं पूर्व मरुश्री विजय बल्लाणी एवं ने प्रतियोगिता में बेहतरीन ढंग से उद्घोषक का कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसलमेर बास्केट बॉल अकादमी के राजवीर सिंह भाटी को नेपाल, बांग्लादेश, चीन, थाईलैण्ड एवं मलेशिया में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने पर सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिता में जैसलमेर बास्केट बॉल अकादमी के राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी विकास चौधरी एवं अकादमी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के सहयोगियों के रूप में बी. पी. पाण्डे, दिनेश कुमार, बक्शे खां (गुणसार संस्थान जैसलमेर), कोजाराम चौहान, विकास मोहता, अजय कुमार वर्मा, विनोद कुमार एवं चेतन राम का भी सम्मान किया गया।

फाईनल मैच देखने भरा रहा इण्डोर स्टेडियम

झुंझुनू एवं पाली की टीमों के बीच बास्केट बॉल फाईनल मैच हुआ। इसकी शुरूआत अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर कराई। सभी अतिथियों के

साथ ही बास्केट बॉल खिलाड़ियों, शहर की विभिन्न स्कूलों के छात्र–छात्राओं और गणमान्य नागरिकों एवं खेलप्रेमियों ने फाईनल मैच का आनंद लिया।

जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई ने बताया कि इस फाईनल मैच में पाली ने झुंझुनूँ को 61–36 से हराया और तीसरी बार राज्यस्पर्धाओं में जीतकर हैट्रिक बनाई। फाईनल मैच के निर्णायक भारतीय बास्केट बॉल संघ के निर्णायक सुरेश मोरडिया, अरविन्द सिंह और यश तिवाड़ी थे। इससे पूर्व हुए सेमी फाइनल मैचों में झुंझुनूँ ने मेजबान जैसलमेर को 55–48 से हराया तथा गत विजेता पाली ने राजसमन्द को 43–20 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।

जयपाल ने रजिस्ट्रार का कार्यभार संभाला

अजमेर 12 फरवरी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रेणु जयपाल ने राजस्व मंडल अजमेर के निबंधक पद का कार्यभार संभाल लिया।

सुश्री जयपाल इससे पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिव सहित अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों में वरिष्ठ पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद राजस्व मंडल के विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों से कामकाज के संबंध में फीडबैक लिया। राजस्व मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार से शिष्टाचार भेंट की।

राजस्व मंडल निबंधक का कार्यभार संभालने के मौके पर अभिनंदन करते अतिरिक्त निबंधक आशुतोष गुप्ता व अन्य अधिकारी।

राजस्व मंडल परिवार की ओर से सदस्य श्रीमती विनीता श्रीवास्तव एवं निबंधक रेणु जयपाल का अभिनंदन

मण्डल में सेवानिवृति कार्यक्रम

राजस्व मंडल अजमेर में बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित नव नियुक्त सदस्यों के अभिनंदन अवसर पर मौजूद अतिथि अधिवक्ता एवं अधिकारीगण।

रविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact Us :
Website : http:/bor.rajasthan.gov.in
Email : bor-rj@nic.in